नेहरू युवा केन्द्र संगठन
वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश
२०१७-१८

परिचय

भारत में युवावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ रहे लोगों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय युवा नीति २००३ में १३ से ३५ वर्ष की आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। जोकि देश में कुल जनसंख्या का लगभग ४१ प्रतिशत भाग है तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल युवा वर्ग जनसंख्या ६९.६७ प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या में ७० प्रतिशत से अधिक की आयु ३५ वर्ष से कम है।

यह नोट करें कि युवा मामले विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति दस्तावेज २०१४ में १५ से २९ वर्ष के समूह वर्ग को युवा बताया गया है, जहां तक विभिन्न नीतिगत व्याख्यों का संबंध है। हमें अधिक से अधिक केन्द्रित सोच रखनी होगी। देश की जनसंख्या में २७.०५ प्रतिशत भाग १५ से २९ वर्ष की आयु समूह के युवा वर्ग का है। वर्तमान में भारत की कुल राष्ट्रीय आय में लगभग ३४ प्रतिशत योगदान १५ से २९ वर्ष के आयु समूह के युवाओं का है।

राश्ट्रीय युवा नीति २०१४ को ध्यान में रखते हुए में जब तक स्पश्ट उल्लेख नहीं किया जायेगा उनके अलावा १५-२९ वर्ग के आयु समूह के युवा नेयुकेसं के मुख्य कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों के लाभार्थी होंगे।

युवा वर्ग सर्वाधिक उत्साही तथा संसाधन सम्पन्न भाग होने के कारण, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के पोषण तथा सुदृढ़ीकरण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनौती यह है कि गरीबी से बाहर निकलने, विकास के सृजन तथा जीविका परिणामों की प्राप्ति के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को उजागर कर विकसित किया जाए, ताकि वे एक स्वस्थ और सार्थक जिंदगी बिता सकें। फिर भी उनके श्रम शक्ति की भागीदारी और उनकी उत्पादकता में वृद्धि से देश के नागरिकों के इस वर्ग का योगदान बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षमता मौजूद है।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन

देश भर में प्रत्येक जिले के लिए नेहरू युवा केन्द्र की योजना १९७२ में प्रारंभ की गई थी। **नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं)** की भारत सरकार के एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापना वर्ष १९८७ में की गई थी, जो वर्तमान में युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। सन् १९७२ से नेहरू युवा केन्द्रों का भारी विस्तार और विकास हुआ है तथा आज नेहरू युवा केन्द्र देश भर में ६२३ जिलों में कार्यरत हैं।

नेयुकेसं की मुख्य भाक्ति विभिन्न जिलों में ग्राम स्तरीय युवा मंडलों में निहित है। इन युवा मंडलों, जिला ने.यु.केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्वयंसेवकों का बल मौजूद है, जिसकी सहायता और प्रतिभागिता के साथ ने.यु.के.सं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

अभिसरण पहल

नेहरू युवा केन्द्र संगठन युवा कार्य विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों तथा स्कीमों द्वारा युवा विकास के विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रहा है। तथापि, एक अवधि में, ने.यु.के.सं के विशाल नेटवर्क और इसकी फील्ड यूनिटों के उपयोग में अनुकरणीय परिवर्तन प्रारंभ हुआ है।

अतएव, ने.यु.के.सं ग्रामीण युवाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए, अपने स्वयं के ग्रामीण युवा कोर कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा अन्य अभिकरणों के समन्वय स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को आयोजित कर रहा है। यह ने.यु.के.सं की विशाल बाह्य पहुंच के उपयोग हेतु अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की सहायता करता रहा है तथा ग्रामीण युवाओं को विकास गतिविधियां अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से निष्पादित करने हेतु अवसर उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार नेहरू युवा केन्द्रों के साथ जुड़े युवा न केवल जागरूक, प्रेरित हैं बल्कि स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक विकास कार्य की दिशा में प्रवृत्त हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में, ने. यु.के.सं की गतिविधियां आर्थिक एवं गैर-आर्थिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर केन्द्रित हैं। इसमें गरीबी उपशमन, स्वच्छ भारत मि ान, योग, भौचालय के निर्माण के सुविधादाता, वित्तीय एवं समाज कल्याण के लिए राश्ट्रीय फ्लैगि ाप योजनायें, वृक्षारोपण, रक्तदान, युवाओं को कौ ाल विकास प्र‍ि ाक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ना, श्रमदान, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओं, गतिविधियॉ, एच.आई.वी. एड्स से बचाव, मद्यपान एवं न ो के दुश्परिणाम, स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की १२५वीं जयंती समारोह, राश्ट्रीयता एवं दे ाभक्ति को प्रोत्साहित करना, मतदाता जागरुकता, युवा मंडल, महिला मंडल एवं ग्रामीण समुदाय को भामिल कर आयाजित करना। तथापि, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

वार्शिक कार्य योजना २०१७-१८ की उत्पत्ति

उत्पत्ति

१. वार्षिक कार्य योजना २०१७-१८ विभिन्न पणधारियों के फीडबैक/ब्रेन स्टार्मिंग का परिणाम है। इससे न केवल ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को प्राप्त करेगा अपितु समाज के सभी वर्गों के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भाग लेने, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने तथा अर्थपूर्ण योगदान करने का एक अवसर प्रदान करेगा। इससे युवाओं को विकसित एवं सशक्त होने में सहायता मिलेगी जिससे वे सामाजिक एवं विकास मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक कल्याण एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय नेतृत्व ग्रहण कर सकें।

२. यह योजना युवा आंदोलन को तैयार करने, उनकी रूचि के क्षेत्रों पर आधारित युवा समूहों के कैडर का निर्माण करने और देशभर में योग, स्वच्छता, कौशल एवं उद्यमशीलता विकास कार्यकलापों और इसके साथ-साथ सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना को भी सुकर बनाएगी।

३. दिनांक १८.०४.२०१६ को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्दे ाों के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को ने.यु.के.सं. की वार्षिक कार्य योजना २०१७-१८का अभिन्न भाग बनाया गया है जैसे सरकार की समस्त संस्थाओं के बीच समन्वयः राष्ट्र युवा दिवस (१२ जनवरी) को समस्त युवाओं को राष्ट्र के कार्य के लिए एकत्रित किया जाये : युवाओं को स्कूलो, कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई और गांवों को शौच मुक्त बनाने के लिए लगाने हेतु प्रेरित किया जायेः युवाओं को जल संरक्षण में (पानी बचाओ) में लगाया जाये, इन्द्रधनुष कार्यक्रम में टीकाकरण और परिणामोन्मुखी तथा अर्थपूर्ण कार्य वृक्षारोपण के कार्य में लगाया जाये और उन्हें फुटबाल खेलने के लिए प्रेरित किया जाये।

४. उपर्युक्त तथ्यों को वास्तविकता का रूप देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री का विजन, नई सरकार द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रमों के घटकों, माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत सचिवों के समूह की अंतिम रिपोर्टो से उभरे युवा मामलों के विभाग के लिए कार्यात्मक मुद्दों, राष्ट्रीय युवा नीति-२०१४, शासी बोर्ड ने.यु.के. सं., मानव संसाधन विकास संसदीय स्थायी समिति के उपाध्यक्षों तथा सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के साथ-साथ मंडल निदेशकों द्वारा उनकी ड्रॉफ्ट कार्य योजनाओं के माध्यम से ने.यु.के. सं. की की वार्षिक कार्य योजना २०१७-१८ में शामिल किया गया है।

५. इसके अतिरिक्त, महानिदेशक की वीडियो कांफ्रेंसों, कार्यक्रम अनुभाग के साथ बैठकों और उनके क्षेत्र के दौरे के दौरान लिए गए फीडबैक और विगत वर्ष में राष्ट्र निर्माण के लिए युवा विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा लिए गए अनुभवों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

६. वर्तमान ने.यु.के.सं. के कोर कार्यक्रमों की विषयसूची में सुधार करके तथा समन्वय कार्यकलापों के उद्देश्यों में सुधार कर बेहतर प्रभाव और समुन्नत परिणामों के लिए पद्धति बनाकर, और ने.यु.के.सं. की दृश्यता एवं छवि निर्माण के लिए व्यापक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

७. इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की गतिविधियों को गुणवत्तापूर्ण परिणामों के साथ कार्यान्वयन सुनि चत करने के लिए समस्त नेहरु युवा केन्द्रों को मौसम की भौगोलिक स्थितियों, एन. वाई.सी. की तैनाती और प्रि ाक्षण, और इसके साथ-साथ जिला नेहरु युवा केन्द्रों में स्टाफ की स्थिति को ध्यान में रखकर योजना तैयार करनी होगी।

८. जिला युवा समन्वयकों और लेखालिपिक-सह-टंककों की वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार योजना बनाई गई है-

- जिन जिलों में नेयुकेस के जिला युवा समन्वयक तैनात हैं उन्हें १०० प्रति ात कार्यक्रम
- जिन जिलों में परियोजना समन्वयक तैनात हैं वहां ७० प्रति ात कार्यक्रम
- जिन जिलों में जिला युवा समन्वयक नहीं हैं लेकिन अतिरिक्त कार्यभार है वहां ३० प्रति ात गतिविधियां

९. इस पर और अधिक ध्यान देते हुए - सार्वभौमिक विषय सूचियों, कार्यनीति, ध्यान देने योग्य क्षेत्र और कार्यक्रमों के स्तर को भी जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, योजना में, सभी पणधारियों के साथ तालमेल के लिए गुंजाइश को और अधिक व्यापक कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधनों को संगठित करने के लिए ही नहीं अपितु एक और पारदर्शिता तथा मानिटरिंग को बनाए रखने के लिए तथा दूसरी ओर सरकार के विजन को प्राप्त करने के लिए भी किया गया है। नेयुकेस की वार्शिक कार्ययोजना २०१७ -१८ के कोर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों पर एक संक्षिप्त सार तैयार किया गया है। और इसे अनुबंध १ पर रखा गया है।

लक्ष्य राश्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण युवाओं का विकास तथा सशक्तिकरण

१. नेतृत्व और समग्र विकास के लिए युवाओं का चयन, संगठित करना और उनका सशक्तिकरण करना।

२. युवा आंदोलन, उनकी रूचि के क्षेत्रों पर आधारित युवा समूहों के कैडर का निर्माण करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करना।

३. विकसित और स ाक्त युवाओं को सामाजिक एवं विकास मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक कल्याण एवं शांति बनाए रखने में स्थानीय नेतृत्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित और सहायता करना।

४. राष्ट्र निर्माण में अर्थपूर्ण योगदान देने और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्ि ित करने के लिए युवाओं को सुअवसर प्रदान करना।

व्यापक कार्यसूची

१. राष्ट्रीय झंडा लहराना।

२. राष्ट्रीय गान गाना तथा राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करना।

३. सामुदायिक रूप से गाना।

४. युवा शपथ - युवा संकल्प।

५. योग।

६. स्वच्छता और श्रमदान।

७. अनुशासन और चरित्र विकास के लिए संक्षिप्त कार्यकलाप।

८. सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री का विजन और प्रमुख कार्यक्रम।

९. प्रत्येक कार्यकलाप के लिए ने.यु.के.सं. के उचित बैनर और आईईसी सामग्री।

१०. आवश्यक मोबाइल एप्प (नरेंद्र मोदी, भुवन इत्यादि) को किस प्रकार डाउनलोड किया जाए, का प्रदर्शन करना।

केंद्र बिंदु क्षेत्र

पण संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान।

पपण योग- युवाओं को स्व-विकास, सामंजस्य और शांति तथा सकारात्मक नियोजन के लिए खेल और साहसिक गतिविधियों में लगाना।

पपपण स्वच्छता एवं श्रमदान- स्वैच्छिक श्रम की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में युवाओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से युवाओं को स्वच्छता और श्रमदान कार्यकलापों में

शामिल करना तथा समाज को एकजुट करने और ग्राम विकास में अपना योगदान तथा दूसरी ओर श्रम के प्रति गरिमा की भावना उत्पन्न करना।

श्रमदान गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय सं ाधनों को एकत्रित करके सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव करना और इसमें समुदाय की प्रतिभागिता सुनि चत करना। उदाहरण के तौर पर गतिविधियां इस प्रकार से होंगी जैसे- तालाबों का रखरखाव, जल संचयन, सिंचाई के लिए बांध और इसके साथ -साथ स्थानीय बस स्टैंड, गांवों में सामुदायिक परिसंपत्तियां और स्वच्छता अभियान आदि।

गंगा नदी के तट से सटे जिलों में सक्रिय भागीदारी के लिए युवाओं को एकत्र करना और गंगा से सटे सभी गांवों में युवा मंडल, महिला मंडल, युवा कार्य समूह, एसएचजी स्थापना के लिए व्यापक अभियान चलाना और भारतभर में स्वच्छता राजदूतों की श्रृंखला का विकास करना।

पअ**ण** सामाजिक और वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जागरूकता और सहायता।

अण समस्त सरकारी युवा संगठनों के साथ राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना और अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी पहलुओं को शामिल करने के लिए सामने लाना। यह संस्थायें एन.एस.एस., एन.सी.सी., बी.एस.जी., एच.एस.जी., ईको क्लब और अन्य विख्यात संगठन होगें जोकि ने.यु.के.सं. के उद्दे यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके।

अपण राष्ट्रीय युवा दिवस (१२ जनवरी) पर समस्त युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुडी किसी वि ोष गतिविधि के लिए एकत्रित किया जायेगा जोकि युवाओं के महत्व को बता सकें और उन्हें स्वाभिमान की भावना दे सके और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में शामिल कर सके और यह उनकी मुख्य यादों का हिस्सा बन जाये। इस कार्य के लिए एक छोटी टीम का गठन किया जाना है।

अपपण अधिकाधिक युवा मंडलों और महिला मंडल सदस्यों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना और जोड़ना। युवाओं को सूचना, काउंसलिंग इत्यादि के द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

अपपपण सौर ऊर्जा के उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण प्रचलनों को जन अभियान का रूप देना।

पग पयार्वरण समृद्धि, जल संरक्षण और संचयन- पोलीथिन बैग के उपयोग की मनाही और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और उपयोग को उनके आदतों में

परिवर्तन के साथ प्रचारित करना और साथ-साथ जल संरक्षण और संचयन को बढ़ावा देना। मई और जून के महीने में युवाओं को गंभीरतापूर्वक जल संरक्षण (पानी बचाओ) के लिए प्रेरित करना और मनरेगा की गतिविधियों के साथ संबद्ध होकर छोटे बांध (बोरी बांध) का निर्माण करना। जून से सितम्बर माह के बीच दे ा के सभी भागों में युवाओं द्वारा साधक एवं परिणामोन्मुखी वृक्षारोपण के लिए योजना तैयार की जाये।

गण निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोगों की रोकथाम, किशोर लड़कियों को आयरन फोलिक गोलियों का वितरण, स्वास्थ्य जांच, बच्चों और गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए शिविरों का आयोजन, संस्थागत प्रसव की सुविधा, लड़कियों और उनके अभिभावकों को १८ वर्ष की आयु पूरी होने तक विवाह न करने, सार्वभौमिक जीवन एवं स्वास्थ्य गारंटी योजना (यूएलएचएएस) के संबंध में जागरूकता फैलाना। युवाओं को टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जायेगा क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षित जीवन के सुख की प्राप्ति होगी।

गपण प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों का स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता, स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की रोकथाम के लिए प्रयास करना।

गपपण आर्गेनिक कृषि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और आर्गेनिक उत्पादों का प्रयोग करना।

गपपपण नशा एवं शराबखोरी समाप्त करनाः शराब और नशे के उपयोग के लिए ना करना।

गपअण युवाओं को सामुदायिक विकास एवं नेतृत्व पर प्रशिक्षण और इस प्रकार उन्हें सामाजिक एवं विकास संबंधी मुद्दों, समाज कल्याण तथा शांति बनाए रखने पर अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करना।

गअण रक्तदान कार्यक्रम, रक्त दानकर्त्ताओं और उनके ब्लड ग्रुप का नामांकन।

गअपण सामाजिक मीडिया प्रशिक्षण और ई-सेवाओंको बढावा देना और स्वैच्छिक सेवाओं के दोहन के लिए एक पृथक पोर्टल तैयार करना।

गअपपण युवा और युवा संगठनों को उनकी स्वार्थ रहित उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार

गअपपपण नए युवा मंडलों और युवा समूहों का विकास।

गपगण खेल अन्य लोकप्रिय खेलों के अलावा युवाओं को फुटबाल खेलने के लिए प्रेरित करना।

जिससे कि उन्हें खु ी मिले और वे फुटबाल से जूडे रहें। वि ोषकर २०१७ में आयोजित होने वाले अंडर-१९ फीफा तक चलता रहे। यह युवाओं के लिए आकर्षक विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। जो युवा फुटबाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट हैं और जिनको युवाओं को प्रि क्षण देने में रुचि है और जो समय निकाल सकते हैं उनको इस चल रहे कार्यक्रम के लिए चयनित किया जा सकता है। इस प्रकार के युवाओं को उच्च स्तरीय कोचिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता हैं। और उन्हें उच्च स्तरीय टूनमिंट में प्रतिभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

एक ओर एक **स्थायी जीविका** के लिए तथा दूसरी ओर स्वेच्छा की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण युवाओं के समक्ष विद्यमान मुद्‌दों तथा समस्याओं पर होगा उनके विकास तथा सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाएगा।

२०. सांसद आद ि ग्राम योजना :

युवा मंडल और महिला सदस्य जो ऐसे गांवों में सक्रिय रुप से कार्यरत हैं जिन्हें माननीय सांसदों द्वारा सांसद आद ि ग्राम को गोद लिया गया हो। यह केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए तथा ग्रामवासियों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए भी है। जिला नेहरु युवा केन्द्र संबंधित माननीय सांसदों को सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं और दे ा में गोद लिए गांवों को मॉडल ग्राम बनाने में सहयोग कर रहे हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृप्या वित्तीय वर्श २०१५-१६ के दौरान भेजे गए परिपत्रों एवं दस्तावेजों को देखें। इसके अतिरिक्त ूण्ेंदरीपण्हवअण्पद (एसजीएजी) की वेबसाईट पर भरिपोर्ट पर क्लिक करें। और गोद लिए गए गांवों की राज्य/संघ प्रदे ा वार सूची देख सकते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित जिला नेयुके निम्नलिखित कार्यवाही करें :

- ✓ जिला नेहरु युवा केन्द्र युवा मंडल का उनके पंचायत के गांवों में गठन करेगें जहॉ पर की वे अस्तित्व में नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है तो उन्हें पुनः जीवित करेगें और उन्हें प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका के लिए स ाक्त करेगें।

- ✓ इन गांवों के युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्यों की सहभागिता/भागीदारी कोर कार्यक्रमों, समन्वय गतिविधियों, एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रमों (राश्ट्रीय एकता ि ाविरों, साहसिक ि ाविरों, युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम एवं जीवन कौ ाल विकास कार्यक्रम) तथा कि ोर स्वास्थ्य, विकास परियोजना के दौरान सुनि चत करेगें।

✓ कुछ आधारभूत कार्यक्रम, समन्वय गतिविधियॉ एन.पी.वाई.ए.डी. कार्यक्रम तथा अन्य वि ोश कार्यक्रम इन चयनित गांवों में आयोजित की जायेगी। जिनमें ग्रामीण समुदायों की भागीदारी सुनि चत की जायेगी।

✓ ग्राम स्तरीय पड़ोस युवा संसद इन गांवों/पंचायतों में मंत्रालय की राश्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम योजना के अंतर्गत आयोजित की जायेगी और ठोस समय सीमा के साथ कार्य योजना विकसित की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर जारी किए जाने वाले पत्रों का भी अवा यक कार्यवाही का भी संदर्भ लें।

भाग - १

ने.यु.के.सं के बुनियादी कार्यक्रम

ने.यु.के.सं के ढ़ांचे, नेटवर्क समन्वय उपलब्ध, युवा स्वयं सेवकों तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों के मध्याम से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष २०१७-१८ के दौरान युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से प्राप्त ब्लॉक अनुदान से, ने. यु.के.सं **१० बुनियादी कार्यक्रम** आयोजित करेगा यथा:

१. युवा मंडल विकास कार्यक्रम
२. युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास पर प्रशिक्षण
३. खेलकूद को प्रोत्साहन

ए. ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता

बी. जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता

४. कौशल विकास कार्यक्रम
५. जिला स्तर पर कला और संस्कृति को प्रोत्साहन
६. राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन
७. जिला युवा सम्मेलन
८. जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडलों को पुरस्कार
९. महात्मा गांधी युवा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम
१०. युवा आद र्ा ग्राम विकास कार्यक्रम

● ये बुनियादी कार्यक्रम देश में सभी ६२३ जिला नेहरू युवा केंद्रों के लिए एक समान होंगे। तथापि, क्र. सं. १ ३ ए से ४ तक पर बुनियादी कार्यक्रमों की संख्या (जिला स्तरीय

कार्यक्रमों को छोड़कर) उस जिले में जिला युवा समन्वयक की उपस्थिति पर निर्भर होगी। तद्नुसार ६२३ जिलों को अनुबंध-२ में दी गई तालिका के अनुसार बांटा गया है।

- **ने.यु.के.सं के १० बुनियादी कार्यक्रमों** से संबंधित **वार्षिक कार्य योजना २०१७-१८** का संक्षिप्त रूप निम्नानुसार है। तथापि, विस्तृत विवरण के लिए **अनुलग्नक-१** देखें।

- यह योजना आरंभ में युवा मंडल और उनके युवा सदस्य, जीवन के समस्त क्षेत्रों के युवा और इसके साथ-साथ एनवाईसी स्वयंसेवकों पर **केन्द्रित** होगी।

भाग - २

अन्य गतिविधियॉ एवं पहल

१. युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति (डीएसीवाईपी)

२. युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति (एसएसीवाईपी)

३. मंडल एवं राश्ट्रीय स्तर पर योजना, समीक्षा एवं अनुवर्ती बैठकें

४. वार्शिक गतिविधि रिपोर्ट प्रतियोगिता

५. मंडल एवं राश्ट्रीय स्तर पर इंटर्नि   ाप कार्यक्रम

भौगोलिक व्याप्ति

- चालू वर्ष के दौरान यह प्रस्तावित किया गया है कि उपरोक्त बुनियादी कार्यक्रमों के जरिये भारत में समस्त राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के ६२३ जिलों में युवा मंडलों/महिला मंडलों को शामिल किया जाएगा तथा इन युवा मंडलों के सदस्यों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी।

- आगे, समन्वय कार्यक्रम के माध्यम से विद्यमान प्रत्येक युवा मंडल/महिला मंडल और उनके सदस्यों तक जिला स्तर तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी तथा उनके **प्रोफाइल को ऑनलाइन अद्यतन किया जाएगा** तथा ने.यु.के.सं की वेबसाईट पर डाला जाएगा।

- युवा मण्डलों और जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को अन्य विभागों, एजेंसियों और सेवा प्रदातों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए इसमें रोजगारपरक कौशल को बढ़ाना और उनका अजीविका अर्जन का विकल्प शामिल है।

नेयुकेस के कोर कार्यक्रमों का पालन करने के लिए निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा

ए एनकेकेएस कोर कार्यक्रमों योजनाओं परियोजनाओं और समन्वय गतिविधियों के संचालन के दौरान विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए।

पारदर्शिता को बनाए रखने, व्यय और समय प्रबंधन के **सही और अर्थपूर्ण पर्याय** को बनाए रखने के लिए कड़ा पर्यवेक्षण और निगरनी सुनिश्चित करनी होगी और उत्तरदायित्व की भावना के साथ-साथ विफलताओं और सफलताओं के परीक्षण का आयोजन भी होगा।

सूचना एवं विज्ञापन के प्रचार के लिए प्रत्येक बैनर और आईईसी सामग्री की समुचित डिजाइनिंग नेहरु युवा केन्द्र संगठनद्वारा होगी।
नेहरु युवा केन्द्र संगठनद्वारा आयोजित सभी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सत्रों की निम्नलिखित विषयसूची होगी।

- प्रत्येुक गतिविधि में **राष्ट्रीय ध्वज को फहराना**, राष्ट्रीय गान गाना और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी, योग, स्वच्छता एवं श्रमदान।
- **युवाओं द्वारा शपथ** - युवा संकल्प
- केंद्र सरकार के **प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों** पर अनुभवी व्यक्तियों द्वारा वार्ता और अवगत कराना कि लोग किस प्रकार इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- विशेषज्ञों द्वारा **प्रेरणादायक भाषण और वार्ताएं** जिनसे राष्ट्रभक्ति राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व, लोकतंत्र का सुदृढीकरण, सामाजिक एकता, भाईचारा और युवाओं की भूमिका, सहयोग की भावना और व्यक्तित्व विकास।
- युवाओं को नेहरु युवा केन्द्र संगठन के बारे में जानकारी देना और उन्हें अवगत कराना - **फेसबुक**, **वेबसाइट** और युवा मंडलों और महिला मंडलों की **ऑन लाइन संबद्धता** और स्वच्छ भारत मिशन का महत्व बताना।
- **मोबाइल एप्प** (नरेंद्र मोदी, भुवन इत्यादि) और अपने विचारों, सुझावों, फोटो को अपलोड किस प्रकार किया जाए, का **प्रदर्शन**।
- **परस्पर संवाद** सत्र जिनका केंद्र बिंदु अनुशासन और अच्छी आदतें, शिष्टाचार और बलिदान और योगदान, राष्ट्र और संगठन के प्रति निष्ठा, अनुपालन एवं संचार, रिपोर्ट तैयार करना और मीडिया प्रबंधन होगा।
- **ग्राम युवा संसद की विषयसूची** - ग्राम युवा संसदों के आयोजन के दौरान निम्नलिखित विषयसूची के अभिन्न अंग होंगे:

○ स्वच्छता

-
- कौशल विकास और लिंकिंग
- जल संरक्षण
- श्रमदान
- ग्राम विकास और युवा विकास पर वार्ता
- नशा मुक्ति
- महिला सुरक्षा
- केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम
- युवाओं द्वारा पहचान किए गए मुद्दे जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उन्हें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्राधिकारियों के साथ उनके समाधान के लिए लिया जाएगा। फिर भी अगर आवश्यकता होगी, अपूर्ण आवश्यकताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।

बी नेयुकेस कोर कार्यक्रमों की रणनीति और कार्यान्वयन रूपरेखा इन कार्यक्रमों को लागू करते समय - :निम्नलिखित संस्थागत तंत्र का सख्ती पालन किया जाना चाहिए

ए) युवा मंडल - नए युवा मंडलों की स्थापना होगी और उन्हें गतिविधियां आरंभ करने और उनमें भाग लेने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ।

- नए मंडल, वर्तमान मंडलों का पुनरोद्धार और उनका सुदृढ़ीकरण
- युवा मंडलों का ऑन लाइन नवीकरण और ऑनलाइन नवीन संबद्धता
- नेहरु युवा केन्द्र संगठनकी वेबसाइट से युवा मंडलों के वर्तमान आंकड़ों को हटा दिया जाएगा जिससे नेहरु युवा केन्द्र संगठन द्वारा स्थापित मूल नियमों के अनुसार और नए सदस्यों को नवीनतम आंकड़ों/सूचना से मौलिक और रुचि रखने वाले युवा दलों को ऑन लाइन संबद्धता मिल सके।
- युवा मंडलों, ने.यु.मंडल, जिला युवा मंडल और युवाओं के लिए सरल दिशानिर्देश दर्शाने वाला एक पेज/साइट अलग से विकसित हो कि किस प्रकार सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं और ने.यु.के. से किस प्रकार संबद्धता प्राप्त की जाए।

बी) युवा कार्य दल बनाए जाएंगे और उन्हें क्रमिक रूप से उनकी रुचि के क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाए, जैसे:

- साहसिक कार्य, क्राफ्ट, संगीत, संस्कृति, खेलकूद, अर्थशास्त्र, कृषि, बागवानी, जल संरक्षण, स्वच्छ,ता, यातायात नियंत्रण, गंगा की सफाई, पर्यावरण, दल।

सी) कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए युवा मंडलों, और एनवाईवी **की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।**

- जिला युवा समन्वयकों और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी नेहरू युवा मंडलों और मंडलों की सूची पहले ही तैयार करेंगे ।
- एक साथ वे ०५ युवा मंडलों को चिह्नित करेंगे जिन पर किसी एक विशेष कार्यक्रम और गतिविधियों के निष्पादन पर विचार किया जा सकता है।
- इन युवा मंडलों को उस कार्यक्रम जिसके लिए उनका चयन किया गया है, के बारे में बताया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा और उनसे कार्यक्रम पर अपनी प्रस्तुति तैयार करने के लिए भी पूछा जा सकता है।
- **चयनित युवा मंडल कार्यक्रम के आयोजन** और प्रबंधन पर अपनी प्रस्तुति देंगे और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ युवा मंडल का चयन जिला युवा समन्वयक और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी करेंगे।
- जबकि शेष युवा मंडल गतिविधि में भाग लेंगे।
- नायक मंडल जिला युवा समन्वयक और संबंधित ब्लॉक के एनवाईवी के साथ परामर्श कर गतिविधि में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

डी) जिला युवा समन्वयक और एनवाईवी **के लिए लक्ष्य:** प्रत्येक जिला युवा समन्वमय को निम्नललिखित लक्ष्य दिए गए हैं-

- भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल केंद्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कुछ युवाओं के प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए कुछ निर्धारण किया जाना चाहिए।
- जिला युवा समन्वयक एनवाईवी को प्रति माह ०२ नए युवा मंडल बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन, प्रेरित और निगरानी करेंगे। जबकि बराबर संख्या में क्लबों को सक्रिय करना चाहिए।
- राष्ट्रीय और स्थानीय मामलों से संबंधित पांच मुद्दों की पहचान और युवा कार्य दल तैयार करना।
- मासिक आधार पर श्रमदान कार्यकलाप
- मासिक आधार पर पर्यावरण संबंधी कार्यकलाप
- जल संरक्षण और संचयन कार्य

- ○ राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों के लिए युवाओं को लगाना और एकजुट करना
- ○ स्कूल और कालेज से जा चुके छात्रों के लिए युवा मंडल-सूची तैयार की जानी है
- ○ एक घंटे की फिल्म तैयार करने के लिए युवा विकास और कौशल विकास पर एक घंटे की सामग्री
- ○ कार्य से संतुष्टि
- ○ स्वास्थ्य देखभाल घटक को सभी गतिविधियों में अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

भाग - ३ उप निदेशक तथा जिला युवा समन्वयक की सहायता और मार्गदर्शन द्वारा राष्ट्रीय युवा कोर **(एनवाईवी) स्वयंसेवकों तथा ने.यु.के युवा मंडलों और महिला मंडलों की सेवाओं का रणनीतिक उपयोग**

- ने.यु.के द्वारा ६२३ जिलों में १२,००० एनवाईवी स्वयंसेवक तैनात किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनमें लगभग १०: कम्प्यूटर शिक्षित होंगे तथा जिला नेहरू युवा केंद्रों में ई-गर्वनेंस को प्रोत्साहन और युवा मंडल की प्रोफाइल तथा विवरण को अद्यतन करेंगे।
- यह योजना बनाई गई है कि इस प्रकार तैनात किए गए स्वयंसेवक बल की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु उन्हें इस संबंध में चालू ने. यु.के.सं वार्षिक कार्य योजना तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं की उम्मीदों के अनुसार उपरोक्तानुसार चिन्हित फोकस क्षेत्रों में समन्वय, रिपोर्टिंग, मानीटरिंग तथा पहले से मौजूद प्रशिक्षण के अन्य पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- यह योजना बनाई गई है कि एनवाइवी स्वयंसेवक अपने संबंधित ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों में ने.यु.के.सं के बुनियादी कार्यक्रमों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों लक्ष्यकृत समन्वय तथा अनुवर्ती गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम समूहों के युवा मंडलों की देखभाल करेंगे।
- ने.यु.के. के बुनियादी कार्यक्रमों के तहत शामिल किए जाने वाले युवाओं को अपने संबंधित ग्रामों में समान प्रकार के जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रेरित और सहायता की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उन्हें चिन्हित मुद्दों पर ने.यु. के.सं के बुनियादी कार्यक्रमों के अनुभवी पदनामित एनवाईवी.स्वयंसेवक तथा संसाधन व्यक्ति सुलभ कराए जाने चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण परिणाम के परिमाणन के क्रम में, प्रत्येक एनवाइवी स्वयंसेवक को एक लक्ष्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। बहरहाल, फोकस उपरोक्तानुसार चुनिंदा क्षेत्र पर होना चाहिए।

भाग - ४ समन्वय

ने.यु.के.सं. के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने के क्रम में, जिला, राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अन्य विकास विभागों, एजेन्सियों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय और सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय प्रक्रिया आरम्भ करने से पहले नेयुकेस मुख्यालय से उचित माध्यम द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- आशान्वित परिणामों के साथ जिला ने.यु.के. के कारगर ढंग से काम करने के लिए समुचित कार्य योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता तथा मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए ***जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति*** (डीएसीवाईपी) की दो बैठकों का आयोजन ६२३ जिलों में प्रत्येक में उनके संबंधित जिले के उपायुक्त/कलक्टर की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए।
- उसी तरह, प्रत्येक राज्यों में ***राज्य युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति*** (एसएसीवाईपी) की दो बैठकें माननीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल तथा विकास एजेन्सियों के प्रमुखों और अन्य गैर-अधिकारी सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित की जानी चाहिए।

जैसाकि अवगत है कि समितियॉ माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष ने.यु.के.सं. के अनुमोदन द्वारा उपरोक्त समितियों का पुनःगर्ठन किया गया है, इसलिए इसी आधार पर डीएसीवाईपी तथा एसएसीवाईपी का पुनर्गठन क्रम ः अनुबंध-४ एवं ५ पर दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

वे कार्यक्रम जिन्हें ने.यु.के. युवा मंडलों के जरिये प्रारंभ कर सकते हैं।

ने.यु.के.सं. १० बुनियादी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाने के अलावा, निम्नलिखित न्यूनतम समन्वय गतिविधियों के लक्ष्य प्रत्येक जिला नेहरू युवा केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये हैं जो कि जिले में आबंटित एनवाईवी स्वयंसेवक की संख्या पर आधारित है।

समन्वय गतिविधियॉ जिले में ***युवा मंडलों*** *तथा जीवन के सभी भागों से आने वाले युवाओं और एनवाईवी स्वयंसेवकों* की सक्रिय भागीदारी के साथ प्रारंभ की जानी चाहिए। यह २०१७-१८ के दौरान स्थानीय संसाधन जुटाने तथा अन्य विभागों एवं एजेन्सियों के साथ समन्वय में हासिल किए जाने चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, उप निदेशक/जिला युवा समन्वयक को मानीटरिंग के अलावा जिले में अन्य विकास विभागों तथा एजेन्सियों के साथ समन्वय में प्रस्तावित गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्ण सहायता, मार्गदर्शन तथा एनवाइवी स्वयंसेवक तथा प्रशिक्षित युवा मंडल नेता सुलभ कराने चाहिए।

युवा मंडलों को पुनरूज्जीवित करने के लिए, एनवाईसी स्वयंसेवक युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करेंगे तथा प्रोफाइल, सदस्यता विवरण निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-६)** में अद्यतन करेंगे। महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा भौतिक बाधाग्रस्त सहित समाज के सभी वर्गों के सम्यक प्रतिनिधित्व के साथ नए सदस्यों का नामांकन भी

करेंगे। युवा मंडल विकास कार्यक्रम के पूरा होने के पश्चात यह निरंतर प्रक्रिया होगी। युवा मंडल की अद्यतन की गई प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अपलोड की जाएगी तथा संशोधन ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

कार्यक्रम जो अन्य विभागों एवं एजेंसियों और इसके साथ-साथ अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिसमें नेहरु युवा केन्द्र के उप निदेशक/जिला युवा समन्वयक और ६२३ जिला नेहरू युवा केंद्रों के फील्ड में तैनात एनवाइवी स्वयंसेवकों की सहायता से प्रारंभ कर सकते हैं।

क्र. सं.	कार्यक्रम	ने.यु.के. को आवंटित प्रति एनवाईवी आवंटित लक्ष्य
१	युवा मंडल/महिला मंडल के सदस्यों को रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ जोड़ना	१४० युवा
२	संवर्धन एवं सुगम ग्रामीणों को प्रधानमंत्री वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत प्रोत्साहन एवं लाभ सुविधा उपलब्ध कराना। (प्रधानमंत्री जन धन खाता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा बैंक (माइक्रो इकाइयों विकास और पुनः वित्त एजेंसी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया - कौशल भारत, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनायें	३००
३	जल निकायों का सृजन	०३
४	विद्यमान जल निकायों का रखरखाव/मरम्मत/सुधार	०६
५	तालाबों, प्राकृतिक पेय जल संसाधनों, लघु सिंचाई के चैनलों, पानी टंकों आदि की सफाई, खुदाई, रखरखाव, गाद हटाना और मरम्मत करना,	०६
६	भाव दाह मैदानों और खेल के मैदानों का रखरखाव और	०२

	मरम्मत	
७	कुंओं की खुदाई/गाद हटाना	०५
८	गांवों में जलसंचयन	०५
९	गांवों में बोरी बांध का निर्माण	०२
१०	कृशि भूमि मृदा कॉर्ड	३००
११	ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर स्वच्छता राजदूत चयन	
१२	राजदूतों की चेन	
१३	स्कूल एवं कॉलेजों की सफाई	०५
१४	पीएचसी/सब सेंटर/अस्पतालों की सफाई	०५
१५	गलियों एवं सामान्य स्थानों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान	
१६	जिला एवं मंडल कार्यालय के परिसर/ ौचालय एवं कूडेदानों की सफाई	०५
१७	सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई	२०
१८	खुले में भौच को समाप्त करने के लिए भौचालयों के निर्माण प्रेरणा परिणाम	२० भौचालय
१९	बाल वृक्षारोपण को जीवित रखना	३०० पौधे
२०	पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता और सुसाध्य उत्पन्न करने के लिए पॉलिथीन बैग का संग्रहण	३ ग्रामों
२१	जंगली घास का उन्मूलन (जैसे गाजर घास, लान्टाना, जल कुंभी आदि)	४ ग्रामों
२२	रक्त दान	३० युनिट
२३	स्वयंसेवी रक्त दाताओं और उनके रक्त समूहीकरण का नामांकन	५० युवा
२४	नवयुवतियों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की पहुंच प्रदान करना	१०० कि ोर लड़कियॉ

२५	प्रेरित लड़कियां और उनके माता पिता जिन्होंने १८ साल की होने तक उसकी शादी को स्थगित कर दिया।	४० लड़कियॉ
२६	सुविधा संस्थागत प्रसव	४० महिला
२७	गर्भवती माताओं का टीकाकरण	४० गर्भवती माता
२८	बच्चों का टीकाकरण (०.५ साल)	१०० बच्चे
२९	मोतियाबिंद (नेत्र) का आपरेशन	१० मरीज
३०	स्वास्थ्य जांच शिविर (डॉट्स, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अन्य)	३ शिविर
३१	स्कूलों के बच्चों का नामांकन	८० बच्चे
३२	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	१० गांवों में
३३	वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना	१०० व्यक्ति
३४	युवा नेताओं को नकद रहित लेनदेन के लिए प्रशिक्षण .	
३५	स्थानीय आवश्यकता एवं वरीयता के आधार पर अन्य कार्यक्रमों को लक्ष्य के साथ योजना में शामिल किया जा सकता है	

अन्य संभावित कार्य क्षेत्र जहां युवा मंडल को शामिल किया जा सकता है

ने.यु.के. के जागरूक, जानकार तथा प्रेरित ग्रामीण युवाओं को निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है :

- ग्राम की स्थिति का सर्वेक्षण करना तथा डेटा एकत्रित करना और यह उस विषय क्षेत्र पर केन्द्रित होना चाहिए जिसमें सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है अथवा कार्यान्वित कार्यक्रम का प्रभाव पहुंचाना चाहती है।
- सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने, उनके समुचित वितरण (पीडीएस) तथा संबंधित द्वारा समुचित उपयोग हेतु प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- सेवा प्रदाताओं पर सामाजिक दबाव समूहों के रूप में काम करना तथा समयबद्ध एवं तत्पर सेवाएं सुनिश्चित करना।
- ग्राम पंचायतों को संयुक्त कार्य योजना तैयार करने में सहायता करना तथा निर्णय करने, कार्यान्वयन और मानीटरिंग की प्रक्रिया में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
- लड़कियों/महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास गतिविधियों हेतु समर्थकारी पर्यावरण एवं समर्थन तैयार करना।

- शांति बनाए रखना, स्वयं सेवाभाव, भाईचारा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना।
- संकट और आपदाओं के समय पर ग्रामीणों की स्वैच्छिक सहायता करना।
- ग्रामों में सामाजिक कार्य पहल करना जो संयुक्त ग्राम समुदाय सहभागिता तथा कार्य द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्रारंभ किए जा सकते हैं।
- समुदाय कार्य शिविर।
- मद्यपान और नशाखोरी, एचआईवी/एड्स को संबोधित करना।

कोर कार्यक्रमों वर्ष २०१७-१८ के लिए सामान्य अनुदेश

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सभी जिलों और राज्य .कार्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि :

१. जिला एवं राज्य नेयुकेसं, एनएसएस, बीएसजी, एचएसजी, ईको क्लब, रेडक्रास सोसायटी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यकलापों और अन्य प्रचालन क्षेत्रों में प्रभावी अभिसारण, स्फूर्ति स्थापित करेगी। इस संबंध में कार्य योजना में नेयुकेसं एवं उपरोक्त युवा संगठनों के बीच प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अभिसारण/तालमेल का निर्धारण किया गया है। नेयुकेसं के कार्यक्रमों और समन्वय गतिविधियों में सहभागिता के स्तर को मासिक प्रगति रिपोर्ट में समन्वय एजेंसी के कॉलम में दर्शाया जायेगा।

२. युवाओं के सशक्तीकरण और विकास के लिए विकासात्मक मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सम्पर्क स्थापित किये जायें, जिसमें सामाजिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बाजार क्षमता के साथ रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

३. उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिन युवा मंडल को विगत दो वर्षों में पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

४. जिला नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध युवा मंडल ही उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।

५. जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल का चयन और पुरस्कृत करने के लिए समय सीमा का पालन सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। राज्य निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन केवल नामित चयन समिति द्वारा ही किया जाता है।

६. जिला नेहरू युवा केन्द्रों को वार्षिक कार्य योजना की प्रतियां ने.यु.के.सं., मुख्यालय प्रेषित नहीं करनी चाहिए। मंडल निदेशक द्वारा मंडल स्तर वार्षिक कार्य योजना राज्यवार संकलित कर ने.यु.के.सं., मुख्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी।

७. राज्य निदेशकों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी।

८. राज्य निदेशकों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए कि :

- कुल आवंटित बजट की ९० प्रतिशत राशि और संगत कार्यक्रम ३१ दिसम्बर, २०१७ तक पूरे किए जा सकें। तथापि, यह प्रत्येक राज्य /केन्द्र को जारी बजट की मात्रा पर निर्भर करेगा और तदनुरूप त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा संबंधित जिला/ राज्य . निदेशक द्वारा हासिल किए जाने चाहिए।

- केवल अपवाद स्थितियों में ही अंतिम तिमाही में १० प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया जा सकता है, जो पीएओ राज्य अथवा ने.यु.के.सं. मुख्यालय द्वारा आवंटित बजट जारी करने में विलम्ब के कारण हो सकता है।

९ अधिकतम कार्यक्रमों को सितंबर २०१७ तक पूरा किया जाना चाहिए ताकि एनईकेएस को आरई स्टेज पर अतिरिक्त निधि मिल सके।

१० वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट प्रतियोगिता कार्यक्रम के तहत डीवाईसी की प्रतियोगिताएं एक योजनाबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जानी चाहिए।

११ महात्मा गांधी स्वच्छ अभियान अभियान श्रमदान कार्यक्रम और युवा आधार ग्राम विकास कार्यक्राम को सख्ती से दिशानिर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

१२ आगे, यह नोट करें कि **जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है**, कुल जारी कार्यक्रम बजट में :

- प्रत्येक कार्यक्रम के तहत, कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का ३० प्रतिशत **महिलाएं** होनी चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि ३० प्रतिशत बजट युवा महिलाओं पर खर्च किया गया है।
- इसी प्रकार कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का २० प्रतिशत **एससी/एसटी** होने चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि २० प्रतिशत बजट एससी/एसटी युवाओं पर खर्च किया गया है।
- उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्यक्रम बजट के प्रतिभागियों/लाभार्थियों का शेष ५० प्रतिशत अल्पसंख्यक, ओबीसी तथा सामान्य पर खर्च किया गया है।

- उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
- जिला स्तर के कार्यक्रमों में सभी ब्लॉकों से विभिन्न वर्गों के युवाओं को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

१३ बुनियादी कार्यक्रम को किसी अन्य गतिविधि या कार्यक्रम की ओर **नहीं मोड़ा जाना चाहिए,** चूंकि वे वचनबद्ध कार्यक्रम घटक होते हैं।

१४० यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जाएंगे।

१५ उप निदेशक और युवा समन्वयक ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों का चयन इस प्रकार करें कि जिले में युवा मंडलों के बीच कार्यक्रमों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ये पिछले वर्ष में चुने गए जैसे हो या नहीं हो सकते हैं।

१६ विषय की दृष्टि से, वर्ष के सभी कार्यक्रम और गतिविधियां **एक नेमी कवायद की बजाय** एक मिशन होनी चाहिए।

१७ कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए कि उनमें अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडल भाग ले सकें।

१८ कार्यक्रमों में युवा मंडलों से **एक ही युवा एवं युवा मंडलों को बार-बार भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए** जब तक कि उस कार्यक्रम विशिष्ट में रूप से युवा मंडल के अध्यक्ष/सचिव या अन्य पदाधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है।

१९उपलब्धियां **मासिक प्रगति रिपोर्ट** और विशिष्ट रूप से तैयार की गई **संचयी प्रगति रिपोर्ट** में, निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर, दर्शाई जानी चाहिए आयोजित गतिविधियों की कुल संख्या/आज की तिथि तक उपलब्धियां अर्थात पिछले महीनों तथा चालू माह की गतिविधियों का योग। उन्हें निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

- जिला ने.यु.के. से मंडल कार्यालय - प्रत्येक माह की २७ तारीख
- **राज्य** कार्यालय से ने.यु.के.सं. मुख्यालय - प्रत्येक माह की २९ तारीख

२० जिला युवा समन्वयक/उप निदेशक तथा **राज्य** निदेशक बुनियादी कार्यक्रम तथा समन्वयक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह निम्न प्रारूपों में भेजेंगे :

कोर कार्यक्रमों एवं समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

स्तर	**बुनियादी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-७
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -७-ए

राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -८
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -८-ए

स्तर	**समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
एनवाई......स्वयंसेवक	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-९
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -९-ए
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -९-बी
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -९-सी
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -९-डी

- राज्य निदेशक को जिला ने.यु.के. से प्राप्त भौतिक लक्ष्य की मिलान जांच वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उस राज्य . हेतु निर्धारित लक्ष्यों के साथ करनी चाहिए।

२१ ...... कार्यालयों को संकलित एमपीआर (मासिक एवं संचयी/प्रगतिशील प्रगति रिपोर्ट) निर्धारित प्रारूपों में मुख्यालय को श्री एम.पी. शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) के नाम में, डाक तथा ई-मेल तमहनसंतचतवहतंउउम/हउंपसण्बवउ अथवा उचीतउंदलो/लीववण्बवण्पद दोनों से प्रेषित करनी चाहिए।

२२ .... निदेशकों को ऐसे जिला ने.यु.के. की सूची भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके द्वारा ने. यु.के.सं मुख्यालय को .... स्तर की एमपीआर के साथ एमपीआर प्रस्तुत नहीं की गई है तथा चूककर्ता केन्द्रों के विरुद्ध महानिदे   ाक को सूचित करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला ने.यु.के. को रिपोर्ट सीधे मुख्यालय नहीं भेजनी चाहिए।

२३ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोक प्रतिनिधि यथा माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और विकास विभागों तथा एजेन्सियों के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

२४ युवा समन्वयक को **एक कार्यक्रम की बचत का उपयोग अन्य बुनियादी कार्यक्रम के संचालन हेतु करने से पूर्व मंडल निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।** निधि के पुनर्विनियोजन हेतु अनुरोध उसके कारणों तथा प्रस्तावित गतिविधि के विवरण सहित भेजा जाना चाहिए।

२५ कार्यक्रमों का नियमित अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (मात्रात्मक तथा गुणात्मक) तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही सहित किया जाना चाहिए।

२६ अन्य **एजेन्सियों से जुटाई गई निधियां समन्वय कार्यक्रम के तहत एमपीआर'स में स्पष्ट रूप से दर्शाई** जानी चाहिए।

२७ सभी युवा मंडलों को अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, जो अपने स्वयं के संसाधनों से आयोजित किए जा सकते हैं। युवा मंडल को अपने क्षेत्रों में युवा ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के हितार्थ कार्यक्रमों के नियमित आधार पर आयोजन का जिम्मा लेना चाहिए। यदि इस क्षेत्र में कोई कार्य हो तो इस कार्य को एनवाईसी स्वयंसेवक युवा मंडलों की सहायता से पूरा किया जाना चाहिए।

२८ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए :

ए. - समाज के सामाजिक रूप से वंचित और उपेक्षित युवा वर्गों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए युवा मंडलों का अनुवर्तन किया जाना चाहिए।

बी. -समाज के सभी सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, शारीरिक बाधाग्रस्त इत्यादि) की सदस्यता हेतु विशेष अभियान एक मिशन के तौर पर चलाया जाना चाहिए।

सी.- नए युवा मंडलों का गठन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जिला ने.यु.के. के साथ नई संबद्धता के लिए, आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के.सं वेबसाइट पर वर्णित ऑनलाइन संबद्धता प्रक्रिया का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डी.- **यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा** कि ऑफलाइन संबद्ध युवा मंडल/महिला मंडलों का विवरण और प्रोफाइल संशोधित प्रोफार्मा भरवाकर अद्यतन की जानी चाहिए। यह **अनुलग्नक-६** में दिया गया है। उसकी एक प्रति जिला ने.यु.के. कार्यालय अभिलेख में रखी जानी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त संशोधित युवा मंडल/महिला मंडल प्रोफाइल तथा विवरण ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

ई.- युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा उनके सदस्यों की प्रोफाइल समय समय पर ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

एफ.- युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के सदस्यों को ग्राम और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों द्वारा समुदाय प्रासंगिक संदेश फैलाने एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों के आयोजन हेतु सुसाध्यकारकों और समकक्ष शिक्षकों के रूप में निखारा जाना चाहिए।

जी.- मंडल निदेशकों तथा जिला युवा समन्वयकों को पंचायत भवन एवं समुदाय भवनों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभागों अथवा संस्थानों के प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के पास जाना चाहिए तथा पंचायत विकास

कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में ने.यु.के. के संबद्ध युवा मंडलों एवं महिला मंडलों का सक्रिय सहयोग मांगना चाहिए।

एच. शिक्षा विभाग के प्रमुखों तथा स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी स्कूल भवन में पढ़ाई के समय के बाद, अवकाश के दिनों में और छुट्टियों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

आई.- स्वास्थ्य तथा आईसीडीएस विभागों के प्रमुखों, आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम कार्यकर्ताओं को ने.यु.के. ग्राम युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा परामर्शदाता युवा मंडल/महिला मंडलों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल देखभाल, पोषण तथा संतुलित आहार कि ोर लड़कियों के लिए फोलिक एसिड उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

२९ प्रत्येक बुनियादी कार्यक्रम पूरा करने के बाद, केन्द्र उस कार्यक्रम का अभिलेख उस हेतु खोली गई संचिका में अनुरक्षित करना सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए, "जिला युवा सम्मेलन की संचिका में उस वर्ष जिले में संचालित जिला युवा सम्मेलन में अभिलेख रखा जाएगा। अभिलेख के अनुरक्षण में निम्नलिखित शामिल होगा :

(प) युवा मंडल (जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है) की बैठक का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जिला युवा समन्वयक ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप समितियों का गठन किया।

(पप) युवा मंडलों को प्रेषित परिपत्र/पत्र की प्रति जिसमें सदस्यों को कार्यक्रम के आयोजन तथा उसमें भाग लेने की सूचना दी गई है।

(पपप) कार्यक्रम की अनुसूची जिसमें सत्र/स्थान तथा संभार व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं।

(पअ) प्रतिदर्श मुद्रित कार्यक्रम परिपत्र की प्रति।

(अ) प्रतिभागियों की सूची, पता, फोन नम्बर, ई-मेल, मोबाईल नं., ब्लड ग्रुप इत्यादि सहित, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(अप) प्रतिभागियों की उपस्थिति, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित।

(अपप) कार्यक्रम की विस्तृत वर्णनात्मक रिपोर्ट तथा वास्तविक तिथि जब आयोजित किया गया। परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण भी दर्ज किए जाने चाहिए।

(अपपप) कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट।

(पग) कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज, कतरनें तथा फोटोग्राफ्स।

(ग) केन्द्र और ने.यु.के.सं के उच्चतर अधिकारियों, जिला प्रशासन, अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विभागों, एजेन्सियों, युवा मंडलों इत्यादि के बीच पत्राचार/पत्र/परिपत्रों की प्रतियां।

(गप) आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्तियों (माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक, एमएलसी'ज, विकास विभागों के प्रमुख तथा एजेन्सियों) के बीच पत्राचार/पत्रों की प्रतियां।

३० मंडल निदेशक को हर बार दौरे पर इन संचिकाओं की जांच/निरीक्षण करना चाहिए तथा अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। लक्ष्यातीत उपलब्धियों/कमियों की ओर संकेत किया जाना चाहिए तथा अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।

बुनियादी कार्यक्रम

१. युवा मंडल विकास कार्यक्रम (वाईसीडीपी)

उद्देश्य

- समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व द्वारा विद्यमान युवा मंडल/महिला मंडलों को मजबूत बनाना।
- ने.यु.के.सं. की वार्शिक कार्य योजना से युवाओं को अभिमुख कराना तथा केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं का प्रचार करना।

दिनों की संख्या : ५ दिन

कार्यक्रमों की संख्या : जिले में युवा मंडल/महिला मंडलों की संख्या के आधार

पर नीचे दिए गए तालिका में दिए मानदंडों के अनुसार।

जिन जिलों में युवा समन्वयक कार्यरत हैं।	**जिला वार कार्यक्रमों की संख्या**
जिला जिसमें जिला युवा समन्वयक तैनात हैं।	७
ऐसा जिला परियोजना अधिकारी हैं	५

जिला जिसमें जिला युवा समन्वयक नहीं हैं लेकिन अतिरिक्त कार्यभार हैं।	२

प्रति कार्यक्रम व्यक्तियों/सदस्यों की संख्या : १० सदस्य (एनवाईवी स्वयंसेवक, सक्रिय युवा मंडल सदस्य, पूर्व एनवाईवी तथा एनएसवी)

कार्यान्वयन रणनीति

- दस सदस्यों को ५ टीमों में बांटा जाएगा इस प्रकार प्रत्येक टीम में २ सदस्य होंगे।
- प्रत्येक टीम प्रति दिन दो ऐसे गांवों में जाएगी जहां ने.यु.के. युवा मंडल हैं। ५ टीमों द्वारा ५ दिन में एक या अधिक ब्लॉकों में कम से कम ५० गांव का दौरा किया जाएगा।
- टीम के सदस्य युवा लीडरों, ग्राम पंचायत प्रधानों तथ सदस्यों और गांव में अन्य अभिमत नायकों से मुलाकात और बातचीत वगैरह करेंगे। वे ने.यु.के. तथा इसकी वार्षिक कार्य योजना उनके विकास के अवसर जो जिला ने.यु.के. द्वारा अन्य विभागों तथा एजेन्सियों के साथ मिलकर प्रारंभ किए जाएंगे, के बारे में प्रचार भी करेंगे।

भाग-१ युवा मंडलों का गठन, और निश्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय करना, प्रोफाईल अद्यतन करना और इसे ने.यु.के.सं. की वेबसाईट पर अपलोड करना।

- नए युवा मंडल उन गांवों में बनाए जाएंगे जहां युवा मंडल मौजूद नहीं है अथवा काफी पहले बनाए गए थे परंतु अब क्रियाशील नहीं हैं। इसी प्रकार विद्यमान निष्क्रिय युवा मंडलों को सक्रिय बनाया जाएगा।
- उपरोक्त के अलावा टीम सदस्य युवा मंडलों की वर्तमान स्थिति की जांच भी करेंगे तथा युवा मंडलों की प्रोफाइल, सदस्यता विवरण को निर्धारित संशोधित प्रारूप अनुलग्नक -६में सदस्यों का विवरण भी अद्यतन करेंगे। तदुपरांत, प्रत्येक जिला ने.यु.के. प्रत्येक कार्यक्रम पूरा होने के बाद युवा मंडलों की प्रोफाइल ने.यु.के.सं वेबसाइट ू ण्दलोण्वतह पर उपलब्ध कराई गई सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन करेगा। यह ने.यु.के.सं वेबसाइट पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

- युवा मंडल बनाने के लिए आगे आने वाले युवा समूहों को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध हैं। आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के. संबद्धता क्रमांक ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ने.यु.के.सं की वेबसाइट देखें। ने.यु.के. द्वारा नवगठित युवा मंडलों को संबद्धता क्रमांक कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विकलांगों सहित समाज के सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ अधिकाधिक संख्या में नए सदस्य बनाए जाएंगे। युवा मंडलों में महिलाओं को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

भाग-२

ने.यु.के.सं. की वार्शिक कार्य योजना २०१७-१८ पर चर्चा करना और साझा करना एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों को केन्द्रित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना।

युवा मंडल आधारित गांव के एक नेटवर्क के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरुक और एकत्रित करना होगा। उन्हें इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेरित करना होगा और इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधी आवंटन निम्नानुसार है। जिले में बजट आवंटन के लिए निम्नानुसार पालन करें।

बजट प्रति कार्यक्रम

विवरण	**दर** (रू. में)	**बजट** (रू. में)
टीम सदस्यों को देय मानदेय डीए तथा यात्रा खर्च सहित	२५०/-प्रति व्यक्ति प्रति दिन (२५० ग १० ग ५)	१२,५००
आईईसी सामग्री	--	५००
बैठक और अन्य खर्चे	--	२,०००
योग		१५,०००

२. युवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास पर प्रशिक्षण (टीवाईएलसीडी)

यह व्यापक रूप से देखा गया है कि युवाओं को जब नेतृत्व के बुनियादी गुणों से सज्जित किया जाता है, वे गांव के हालात सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं, नेतृत्व करते हैं तथा अपने ग्राम समुदायों के विकास के लिए उत्प्रेरक अभिकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। यह कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को साथ मिलकर, अपने अनुभव साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा समुदाय कल्याण एवं विकास गतिविधियां प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करता है। यह ने.यु.के.सं. का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा इसलिए पूर्ण गंभीरता के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। इस आधार-वाक्य के साथ ने.यु.के.सं यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का इच्छुक है।

उद्देश्य

- युवा लोगों द्वारा नेतृत्व संभालने के लिए उनकी क्षमताओं का वर्धन करना ताकि वे एक सार्थक जीवन हेतु दूसरों की सहायता करने के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें।
- स ाक्त चरित्र, स्वअनु ाासन, एकता, सकारात्मक सोच राश्ट्र के प्रतिबद्धता की भावना लाना और राश्ट्र निर्माण के संदे ा को प्रचारित करने की स ाक्त इच्छा लाना।
- समर्पित कॉर्डर, प्रेरित एवं प्र ाक्षित युवा नेताओं की स्थापना करना जोकि राश्ट्र निर्माण की गतिविधियों में ाामिल होने के इच्छुक हों।

व्यापक क्षेत्र

इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र शामिल किए जाएंगे तथा कार्य योजना दस्तावेज में चिन्हित क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाएगा। तथापि, स्थानीय संसाधन व्यक्तियों तथा युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास में विशेषज्ञों के साथ परामर्श से उनमें और सुधार किया जा सकता है।

युवाओं को केन्द्रित क्षेत्रों में ाामिल करने के लिए प्रेरित करना क्योंकि इससे उन्हें अन्य लोगों के लिए कार्य करने में प्रसन्नता होगी। प्र ाक्षित युवा सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण गतिविधियों में स्थानीय नेतृत्व प्राप्त कर सकेंगे।

दे ाभक्ति, नैतिक मूल्यों, चरित्र निर्माण, महिलाओं की गरिमा के लिए सम्मान, राश्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता के साथ-साथ निम्नलिखित विशयों पर उनके समग्र विकास हेतु विख्यात संदर्भ व्यक्तियों को युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

विषय-वस्तु संबंधी सुझाव

जिला नेयुके प्रत्येक वर्ष गतिविधियों की अनुसूची तैयार करेंगें । जिसमे नाश्तेए दोपहर का भोजनए रात्रि का भोजनए केम्प फायरए सांस्कृतिक गतिविधियों का समय भी निर्धारित किया जाए।

- ने ान फर्स्ट - केरेक्टर मस्ट

महत्वपूर्ण जागरूकता और ग्रामीण समुदायों के युवाओं की सामाजिक गतिशीलता को समझने

विकास गतिविधियों के लिए उनके व्यक्तित्व विकास और समुदाय के एकत्रीकरण के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक उपलब्ध कराना।

युवा समूहों को संगठित करने तथा युवा मंडलों का प्रबंधन और स्थापना सक्षम बना।

भारतीय संस्कृति और परंपरा, भारतीय गांवों, पंचायती राज, नैतिक मूल्यों का ज्ञान, नागरिक शिक्षा, प्रगति की ि ाक्षा देना और इसकी अपने समुदाय में प्रगति की गुंजाइ ा।

नवगठित युवा मंडल के युवा नेताओं/पदाधिकारियों को आगे नेतृत्व प्रशिक्षण देना।

ग्रामीण युवा विकास और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों और जिले एवं मंत्रालयों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की योजनाओं पर चर्चा करना तथा जानकारी देना जिन्हें वे आयोजित कर सकते है या भाग ले सकते हैं।

नेतृत्व - अवधारणा, गुण, शैली, कौशल, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व

संचार कौशल - कैसे लोगों के साथ बातचीत और भाषण देना।

कम्प्यूटर साक्षरता बढ़ाना

आईटी और सामाजिक मीडिया का प्रयोग - व्हाटअप, फेस बुक, ट्विटर, यूटयूब का प्रयोग और किस प्रकार उपयोगी एपिके ान को डाउनलोड करें।

१० साइबर कानूनों की महत्वपूर्ण जागरूकता और समझ बनाना

साइबर अपराधों की महत्वपूर्ण जागरूकता और समझ बनाना

२णवित्तीय और सामाजिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रम

जीवन का एक तरीका के रूप में योग

व्यक्तित्व विकास

जीवन कौशल

कार्यक्रम प्रबंधन : प्रक्रिया, बाधा, भाषण कैसे बनाये

अच्छी नागरिकता : नागरिक शिष्टाचार और नैतिकता और मूल्यों के प्रति सम्मान

जिम्मेदार नागरिक : भारतीय होने के नाते सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना

3- अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय - क्या, क्यों और कैसे?

पाठ्यक्रम में भारत के संविधान पर युवाओं को शिक्षित करने के लिए आधे घंटे का कार्यक्रम जोड़ा जा सकता है। इसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) , मौलिक अधिकार और कर्तव्यों और संविधान की प्रस्तावना को शामिल किया जा सकता हैं।

किसी भी सामाजिक विषय पर समूह चर्चा को भी समयसमय पर शामिल किया जाए।-

बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जीवन कौशल और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए।

सामुदायिक सेवा को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

सामुदायिक विकास : अवधारणाएं : प्रक्रिया: ग्रामीण युवाओं और ग्राम समुदाय के उत्थान के लिए विकासात्मक एजेंसियों और विभागों के ाथ समन्वय स्थापित करने के लिए रणनीति

अवधि : ०३ दिन (रात्रि विश्राम आवश्यक)

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या : ४० (प्रत्येक ने.यु.के. युवा मंडल तथा समाज के समस्त भागों के युवा जिनके पास एन्रॉयड फोन हो)। शामिल युवा मंडलों को अन्य टीवाईएलसीडी में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

- कैंप में भाग लेने वाले प्रतिभागी सदस्य को भारतीय संविधान की आधारभूत जानकारी होनी आवश्यक है।

प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों की संख्या : जिले में जिला युवा समन्वयक की संख्या के आधार पर नीचे दी गई तालिका में दिए मानदंडों के अनुसार।

जिन जिलों में युवा समन्वयक है।	**जिला वार कार्यक्रमों की संख्या**
जिला जिसमें जिला युवा समन्वयक तैनात हैं।	१

जिला जिसमें **परियोजना** समन्वयक है या लेखालिपिक जैसे कि एक व्यक्ति	१
जहॉं जिला युवा समन्वयक नहीं(**अतिरिक्त कार्यभार है**) है।	१

समय सीमा : दूसरी तिमाही

कार्यान्वयन रणनीति

- टीवाईएलसीडी आयोजित करने संबधी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला युवा समन्वयक की होगी। तथापि, जिला युवा समन्वयक को स्थानीय युवा मंडलों तथा पदनामित एनवाईसी स्वयंसेवकों की सहायता लेनी चाहिए।
- जिला युवा समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों तथा विशेषज्ञों और संदर्भ व्यक्तियों के समूह की पहचान करनी चाहिए, जो प्रशिक्षण एवं विकास/अनुकूलन/आईईसी सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं तथा अथवा टीवाईएलसीडी की विषय-वस्तु में वर्णित मुद्दों तथा विषयों पर खरीदने में मार्गदर्शन और सहायता कर सकते हैं और स्थानीय विशेषज्ञों के साथ परामर्श से आगे और सुधार कर सकते हैं। एक सार्थक और कारगर क्षमता निर्माण अभ्यास के लिए इन दोनों विकल्पों का मिश्रण भी किया जा सकता है।
- जिला युवा समन्वयकों को कार्यक्रम के आयोजन हेतु स्थान का चयन करना चाहिए, जहां प्रशिक्षण गतिविधियां सफलतापूर्वक संचालित की जा सकें। उदाहरण के लिए, ऐसा स्थान जहां पुरूष और महिला प्रतिभागियों के रहने खाने की सुविधा, प्रशिक्षण अवसंरचना, शिक्षण साधन और उपकरण, बिजली तथा पावर बैकअप, पानी, सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उचित इंटरनेट वाईफ़ाई सुविधा होनी चाहिए। / कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए जरूरी पर्याप्तसंख्या में नवीनतम कॉन्फिगरेशन के कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

चूंकियुवा लड़के भाग लेंगे ४० इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्बाध बिजली प्रदान की जाए। बिजली या बिजली की अनुपलब्धता के मामले में शिविर में जनरेटर बैकअप प्रदान किया जाना चाहिए।

- पहचान किए गए प्रशिक्षण अभिकरणों तथा संसाधन व्यक्तियों के समूह, प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस टीवाईएलसीडी के उद्देश्यों, उम्मीदों तथा इसके परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा, पर्याप्त अग्रिम में, उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षक उनको आबंटित विषय तथा मुद्दों के विशेषज्ञ हैं तथा इस विशेषज्ञता को युवा और ग्राम समुदायों के विकास एवं सशक्तीकरण में नेता के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ जोड़ सकते हैं।
- प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण के अलावा कुछ पुरस्कार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी रखे जाने चाहिए।

क्रियाविधि

युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण की प्रवृत्ति सहभागितापूर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित क्रियाविधियां अपनाने का सुझाव दिया जाता है :

- गतिरोध दूर करने का अभ्यास
- विशेषज्ञों द्वारा विषयों पर व्याख्यान
- समूह चर्चा
- सामूहिक रिपोर्ट लेखन एवं प्रस्तुतीकरण
- भूमिका निर्वाह
- खुला सदन चर्चा
- प्रश्न उत्तर सत्र
- सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां : कहानियां सुनाना
- गृह कार्य
- टीम के खेल और सामूहिक गतिविधियां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिन्न अंग होनी चाहिए। इसमें कबड्डी खो खो वॉली बॉल और फुटबॉल शामिल किए जा सकते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में ज्ञान बढाने के लिए सामाजिक मुद्दों पर एक फिल्म जो युवा नेतृत्व गुणों को बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए ।

कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता वनस्पतियों और जीवों आदि पर कुछ पावरपोइंट प्रस्तुतियों को भी शामिल किया जा सकता है।

यह भी सुझाव दिया जाता है कि समूह को सामाजिक देशभक्ति संदेश वाले विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी गाने सीखने चाहिए। यह राष्ट्रीय एकीकरण की ओर भी एक कदम है।

सामाजिक विषय पर स्ट्रीट प्ले प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक हिस्सा (नुक्कड नाटक) हो। इसके लिए स्क्रिप्ट प्रतिभागियों द्वारा तैयार की जाएगी। कुल समय की अवधि मिनट होगी ३०

परियोजना कार्यप्रतिभागियों को भी समाज और युवाओं के सामने आने वाले सामाजिक और विकास संबंधी : मुद्दों में से एक को संबोधित करने के लिए परियोजना का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवा स्व रोजगार शिक्षा और कौशल बिजली स्कूल शिक्षा स्वच्छता और स्वच्छता मनोरंजन स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के रोजगार पैटर्न पर विषय हो सकते हैं।

प्रेस कवरेज : जिला युवा समन्वयकों को प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना होगा।

बजट प्रति कार्यक्रम

विवरण	**राशि** (रू. में)
रहने एवं खाने का खर्च रू. ३००/- प्रति व्यक्ति प्रति दिन (३०० ग ४० ग ३)	३६,०००
यात्रा व्यय वास्तविक रु150/- की अधिकतम सीमा के साथ प्रति व्यक्ति (150ग ४०द्ध	6000
संदर्भ सामग्री (२०० ग ४०)	८,०००
आयोजन	५,०००
संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय (रू. १००० प्रति १ सत्रों के लिए - ३ प्रति दिन अथवा आवश्यकतानुसार)	९,०००
योग	**६४,०००**

प्रशिक्षित युवा नेताओं से अपेक्षित प्रमुख कार्य

- युवा मंडलों के प्रशिक्षित नेता अन्य सदस्यों को एकजुट करेंगे ताकि उनका युवा मंडल वार्षिक कार्य योजना २०१७-१८ में चिन्हित फोकस क्षेत्रों में रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा समुदाय कल्याण एवं विकास गतिविधियों पर फोकस के साथ

युवा विकास कार्यक्रमों की योजना तथा कार्यान्वयन के फोकल प्वाइंट के रूप में काम कर सके।

- प्रशिक्षित युवा नेताओं को स्थानीय संसाधन जुटाकर समंवित गतिविधियां शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

३. खेलों को प्रोत्साहन

यह वर्श फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित है - माननीय प्रधानमंत्री जी का दृश्टिकोण। युवाओं को फुटबाल खेलने के लिए इस प्रकार प्रेरित किया जाये कि उन्हें इससे खु ाी मिले और वे फुटबाल से घिर सकें।

अपेक्षित स्रोतों से उपलब्धता होने के परिणामस्वरूप युवाओं को फुटबॉल प्रदान किया जाएगा इसलिए इस समय खेल सामग्री की खरीद के लिए बजट संबंधी कोई योजना 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना में नहीं बनाई गई है।

ए. एवं बी ब्लाक एवं जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता

खेल प्रोत्साहन के अंतर्गत जिला एवं युवा मंडलों (ब्लॉक) के समूह स्तर पर खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रावधान किया गया है। खेल सामग्री की खरीद के प्रावधान के बारे में अलग से ऊपर बताया गया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल भावनाओं को दर्शाता है। इस संबंध में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट खेल व्यक्तित्वों को सामने लाना और ग्रामीण खेलों के क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान करना जिन्हें अन्य प्रतिष्ठित विभागों द्वारा और आगे विकसित किया जा सके।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को खेलों में भाग लेने के सुअवसर दिलाना और उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना।
- ग्रामीण युवाओं के बीच खेल संस्कृति और खेल भावना को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करना जिनके लिए न्यूनतम वित्त, ढांचा तथा उपकरणों की आवश्यकता हो।
- युवाओं के बीच स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ दिमाग का प्रचार करना।
- युवाओं को ऐसा मंच प्रदान करना जिसे अन्य विभाग प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे विकसित करने के लिए चयनित कर सके।

टुनमिंट का स्तर

- ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता
- जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता

कार्यक्रम ों की संख्या

जिला युवा समन्वयक एवं लेखालिपिक-सह-टंकक की जिले में संख्या के आधार पर वरीयता निम्नानुसार है :-

जिले जिनमे जिला युवा समन्वयक हैं	ब्लॉक स्तरीय		जिला स्तर	
	खेल प्रतियोगिताओं की संख्या	**राशि (रू. में) / रू. १८००० प्रति युवा मण्डल**	**खेल प्रतियोगिताओं की संख्या**	**राशि (रू. में) / रू. ३०००० प्रति युवा मण्डल**
जिन जिलों मे नेयुकेस के जि.यु.सं. हैं।	७	१,२६,०००	१	३०,०००
जिन जिलों मे परियोजना समन्वयक है।	५	९०,०००	१	३०,०००
जिन जिलों मे जि.यु.सं. नहीं है (अतिरिक्त कार्यभार है)	२	३६,०००	१	३०,०००

समय अवधि : जुलाई से सितंबर (ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता)

नवम्बर से दिसम्बर फरवरी (जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता)

विभिन्न स्तरें पर खेलों की पहचान:

सामूहिक प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत खेल भी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में शामिल किये जायेंगे। निम्नलिखित में से खेलों का चयन या अन्य स्थानीय लोकप्रिय खेलों का चयन किया जायेगा।

प्रतियोगिता समूह			
फुटबाल	कबड्डी	टग ऑफ वार	हॉकी

हैंड बॉल	बास्केट बॉल	बॉलीवॉल	खो-खो
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगितायें			
एथलैटिक	कुश्ती (भारतीय तरीके से)	तीरंदाजी (भारतीय तरीके से)	तैराकी
जिमनास्टिक	बैडमिंटन	टेबल टेनिस	साईकिलिंग
भारोत्तोलन	वुशु	ताईकवांडो	मुक्के बाजी
जुडो			
स्थानीय परम्परागत खेल			
ऊँट दौड	भैंसा गाडी दौड	मार्शल आर्ट जैसे गट्टका, मलखम, अत्या-पत्या, कलराईपट्टू, सीलामबम, थंग टा आदि	

- जिला नेहरू युवा केन्द्र द्वारा ब्लॉक विशेष में आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियों का निर्णय युवा मंडल द्वारा नियमित रूप से खेले जाने वाले खेलों की लोकप्रियता के आधार पर किया जाये।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर न्यूनतम ५-६ खेलों के चयन में व्यक्तिगत एवं टीम के साथ खेलों की वरीयता के आधार पर किया जाये और इसमें क्रमश: ६०:४० का अनुपात रखा जाये।
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर एक ही प्रकार के खेलों का चयन किया जाये।

नोट:

- क्षेत्र में लोक प्रिय अन्य खेलों के साथ-साथ फुटबाल टूनमिंट को आयोजित करने के लिए प्रयास किए जायें।
- प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केट बॉल, हैंड बॉल, हॉकी, कबड्डी और खो-खो में से ०३ से अधिक खेल न रखे जायें।
- व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एथलेटिक, कुश्ती, तीरंदाजी आदि में से ०२ से अधिक खेलों का चयन न किया जाये और यह चयन स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं पर निर्भर होगा।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय रूचि को बढ़ाने के लिए एक या दो प्रतियोगितायें जैसे कुश्ती, टग ऑफ वार, मार्शल आर्ट, मलखम, अत्या-पत्या, ऊँट दौड और भैंसा गाडी दौड स्थानीय परंपराओं के अनुसार आयोजित किये जा सकते हैं।

अवधि:

- टुनमिंट ०२ दिन का होगा
- बजट समान रहेगा चाहे दिवसों की संख्या तीन दिन से अधिक ही क्यों न हो

युवा मंडलों एवं प्रतिभागियों की संख्या

✓ प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम १५० खिलाड़ी होंगे।
✓ दोनों प्रकार के प्रतियोगिताओं में महिलाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा।

कार्यान्वयन रणनीति:

ब्लॉक स्तर का विजेता उसी खेल में जिला स्तरीय टूनमिंट में भाग लेगा।

- अपेक्षित सुविधायें, खेल उपकरण, खेल सामग्री प्रतिभागी दलों के बीच आवंटित की जायेगी।
- पुरस्कार केवल स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र के साथ दिये जायेंगे।
- परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता नॉक ऑउट के आधार पर युवा मंडल के समूह स्तर (ब्लॉक) और जिला स्तर पर आयोजित किये जायेगें।
- प्रतिभागी अपने आने जाने का किराया स्वयं वहन करेंगे।
- विभिन्न खेल जो ब्लॉक विशेष में आयोजित किये जाने हैं के लिए रैफरी, कोच, जज आदि को पहले ही चिन्हित किया जाये।
- उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा और अपेक्षित सुरक्षा इंतजाम स्थानीय पुलिस एवं युवा मंडल स्वयंसेवकों की सहायता से सुनिश्चित करें।
- संबंधित एनवाईवी स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में समस्त युवा मंडलों के बीच प्रस्तावित युवा मंडल (ब्लॉक) और जिला स्तरीय परस्पर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना का प्रचार-प्रसार पहले से ही करेंगे और वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगें।

बजट: उपयोगिता नमूना

शीर्ष	**ब्लॉक स्तरीय**	**जिला स्तरीय**
	राशि (रू में)	**राशि** (रू में)
खेल उपकरण, ट्रेक एवं फील्ड प्रबंधन और विजेताओं के लिए पुरस्कार (वास्तविक आवश्यकता के अनुसार)	१०,०००.००	१५,०००.००
आयोजन और आकस्मिक व्यय जिसमें चाय, नाश्ता, प्रतिभागियो,	८,०००.००	१५,०००.००

प्रतियोगिता के अधिकारियों के लिए अल्पाहार फोटाग्राफी, पी ए सिस्टम, प्रमाण पत्र आदि के लिए		
कुल	१८,०००.००	३०,०००.००

४. युवा महिलाओं एवं पुरुशों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी)

पृष्ठभूमि

एसयूटीपी का लक्ष्य आय सृजन के लिए कौशल उन्नयन द्वारा महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करना है, जिसका परिणाम स्वरोजगार उद्यम के रूप में हो सकता है। इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों का क्रम इस प्रकार है : युवाओं को व्यवहार्य समूहों में एकजुट करना, उनका कौशल सुधारना, सहायता सेवाओं तथा जागरूकता सृजन हेतु व्यवस्था, लिंग सुग्राहीकरण इत्यादि। इस कार्यक्रम का लक्ष्य न केवल लाभार्थियों की आय बढ़ाने के लिए कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना अपितु **ने.यु.के.सं वार्षिक कार्य योजना में पहले वर्णितानुसार चिन्हित मुख्य फोकस क्षेत्रों के विषय में जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा प्रदान करना है।**

यह कार्यक्रम उनके जीवन स्तर और आत्म सम्मान को बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, युवा महिलाओं एवं पुरुशों को आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगारशुदा बनाने पर विशेष बल दिया जाता है ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों की पूर्ति हेतु परिवार की आय में अपना योगदान दे सकें। गत वर्षों से कौशल विकास कार्यक्रम ने.यु.के.सं का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है। यह कार्यक्रम मूल रूप से उनके कौशल और सशक्तीकरण हेतु अभिप्रेत है।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं के व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन तथा समाज में उनके आत्म सम्मान को बढ़ाना।
- युवाओं को उनके दैनिक जीवन के मुद्दों तथा समस्याओं का सामना करने हेतु सशक्त बनाना।
- युवा समूहों को अपना स्वयं का रोजगार अथवा आय अर्जन कार्यक्रम शुरू करने हेतु सक्षम बनाना।
- ऐसे नए कौशल सीखने में उनकी सहायता करना, जिनकी बाजार में मांग बढ़ रही है।
- युवाओं को व्यवहार्य समूहों में एकजुट करना और प्रशिक्षण, क्रेडिट हेतु पहुंच, उत्पादक आस्तियों तथा अन्य निवेशों हेतु व्यवस्था करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या : जिले में जिला युवा समन्वयक की उपलब्धता के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार।

जिले जिनमे जिला युवा समन्वयक हैं	प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों की संख्या	राशि (रू. में)	शामिल किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम २५ प्रति कार्यक्रम
जिन जिलों मे नेयुकेस के जि.यु.सं. हैं।	८	**२,०८,०००/–**	२००
जिन जिलों मे परियोजना समन्वयक है।	६	**१,५६,०००/–**	१५०
जिन जिलों मे जि.यु.सं. नहीं है (अतिरिक्त कार्यभार है)	४	१,०४,०००/–	१००

अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु:

१. जिला युवा समन्वयक संदर्भ व्यक्तियों का आवश्यकतानुसार और पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार मानदेय दे सकते लेकिन यह आबंटित बजट की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

२. जिला नेहरु युवा केन्द्र मृदु कौ ाल और व्यक्ति विकास प्रि ाक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। संदर्भ व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के मुद्दों पर संबोधित करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। जिसमें वे टीम वर्क, स्वसहायता समूह के लिए समूह गति ीलता और तालमेल के प्रभावों के विशयों को भी कवर करेगा।

३. एसयूटीपी केन्द्र में विशय वि ोशज्ञ एवं संदर्भ व्यक्ति को समय-समय पर आमंत्रित कर केन्द्र सरकार की राश्ट्रीय फ्लैगि ाप कार्यक्रमो, सरकार, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा विकासात्मक एजेंसियों की सुविधा एवं कार्यक्रमों की जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रति कार्यक्रम प्रतिभागियों की संख्या

- एक प्रशिक्षण समूह में प्रतिभागियों की संख्या कम से कम २५ होनी चाहिए।
- जिले की प्रेरित, जरूरतमंद, बेरोजगार ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी महिलाओं का चयन किया जाना चाहिए।
- युवा मंडल सदस्य, पूर्व-एनएसवी/एनवाईवी तथा ने.यु.के. कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को वरीयता दी जानी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी तथा निर्धन/बेघर संवर्गों की महिलाओं के चयन का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- चुने गए प्रतिभागी कम से कम समझने, पढ़ने तथा लिखने की स्थिति में होने चाहिए।

अवधि :

- व्यवसाय की अवधि तकनीकी वि ोशज्ञ, संस्था या अनुदे ाक की सलाह से निर्धारित की जायेगी तथापि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अधिकतम अवधि ०३ माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि चुने गए ट्रेड और व्यवसाय पर निर्भर होगी।
- इसलिए, युवा समन्वयक को चुने गए ट्रेड और व्यवसाय हेतु अवधियां संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों अथवा संस्थाओं के साथ परामर्श से तय करनी चाहिए।
- व्यवसाय प्रि ाक्षण पाठ्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये कि यह एसयूटीपी बजट सीमा के अंदर ही रहे लेकिन यह भी सुनि चत करें कि आवंटित प्रतिभागी उतने ही रहें।

कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु रणनीति

- युवा समन्वयक ट्रेड्स तथा व्यवसायों की पहचान एक ओर ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय जरूरतों के आधार पर और दूसरी ओर कच्चे माल तथा बाजार की उपलब्धता के आधार पर करेगा।
- ने.यु.के. जिले के भीतर कौ ाल उन्नयन प्रि ाक्षण कार्यक्रम केवीके', कृषि विश्वविद्यालयों, विकास अभिकरणों, एनजीओ तथा संस्थानों के प्रशिक्षकों की सहायता से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रशिक्षकों को भी नेहरू युवा. केन्द्रों में मानक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बुलाया जा सकता है।
- यदि अपेक्षित है, युवा समन्वयक को युवाओं को जिले से बाहर स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने की आजादी होगी, यदि किसी विशेष ट्रेड या व्यवसाय में जिले में सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, ने.यु.के. द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा तथा यह निर्धारित बजट के भीतर तथा कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। इस हेतु, आवश्यकतानुसार स्थानीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। बहरसूरत, ऐसे व्यवस्थित कार्यक्रम के दौरान युवाओं को ने.यु.के.सं द्वारा चिन्हित मुद्दों एवं मुख्य फोकस क्षेत्रों की तथा पिछले पृष्ठों पर दिए दिशानिर्देशों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- प्रशिक्षक अधिमानतः कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों, विभागों तथा एनजीओ से लिए जाने चाहिए।
- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों तथा मास्टर प्रशिक्षकों के साथ परामर्श से कार्यक्रम प्रारंभ होने से पर्याप्त पूर्व तैयार किया जाना चाहिए।

कौशल प्रशिक्षण हेतु सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसाय

निम्नलिखित सेक्टर, ट्रेड तथा व्यवसायों (सूची केवल संकेतात्मक है) पर बल दिया जा सकता है।

क्र. सं.	सेक्टर	प्रस्तावित व्यवसाय
१	कृषि	मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों की खेती, बागबानी, पुष्पकृषि, वर्मीकल्चर, बैकयार्ड सब्जी कृषि, ट्रैक्टर मरम्मत
२	डेरी कार्य	छोटे दुधारू/डेरी पशु (भैंस, गाय) प्रजनन इकाइयां, दुग्ध एकत्रीकरण एवं विक्रय, दुग्ध प्रसंस्करण (घी, पनीर, खोया)
३	पशुपालन	ऊन के लिए बकरी/भेड़ प्रजनन, बैकयार्ड पोल्ट्री एवं देसी पक्षी (बत्तख, कोयल), सूअर पालन, खरगोश प्रजनन इत्यादि
४	मत्स्य पालन	मत्स्य प्रजनन/छोटे तालाबों में बीज उत्पादन, मत्स्य प्रसंस्करण (शुष्कन, मत्स्य अचार), मछली पकड़ने के जाल बनाना तथा मरम्मत, मत्स्य चारा उत्पादन, छोटी उत्पत्तिशालाएं, मजदूरी रोजगार (चारा, पहरा एवं निगरानी, तालाबों की खरपतवार सफाई, संचयन)
५	हथकरघा	बुनाई, प्रसंस्करण (डाईंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग), पैकेजिंग
६	हस्तशिल्प	हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना, प्रसंस्करण गतिविधियां (पालिश करना, रंग करना)
७	रेशम उत्पादन	शहतूत की खेती, कोकून प्रजनन, यैम की रीलिंग
८	सामाजिक वानिकी तथा वन आधारित गतिविधियां	पौधशालाएं तैयार करना, वन भूमि/परती भूमि पर वन प्रजातियों की खेती, गौण वनोपज एकत्र करना (गोंद, बेरी, औषधीय/हर्बल उत्पाद, मधु)
९	परती भूमि विकास	पौधशालाएं तैयार करना, चारा, फल तथा इमारती लकड़ी की खेती, जलसंभरण विकास गतिविधियां, वाड़ी विकास
१०	खाद्य प्रसंस्करण	जैम, जेली, मुरब्बा, पेठा, चिप्स/वेफर्स, नूडल्स, पापड़, अचार, बेकरी उत्पाद बनाने के लिए फल और सब्जी प्रसंस्करण
११	स्थानीय रूप से उपयुक्त अन्य कोई खंड	बुनाई, कशीदाकारी, जरदोजी कार्य, फिनिशिंग, कटिंग और टेलरिंग, सॉफ्ट टॉयज, बांस/जूट कार्य : हैंड बैग, टोकरी, सजावटी पीस, फाइल कवर, ब्यूटी कल्चर, मोमबत्ती निर्माण, गृहोपयोगी वस्तुओं की पैकेजिंग तथा पेंटिंग, कम्प्यूटर और मोबाइल मरम्मत इत्यादि।

सहयोगी अभिकरण

- संस्थान जैसेकि लघु उद्योग, एनसीवीटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण प्रदाता, टेलरिंग संस्थान, केवीके, केवीआईसी, एसजीएसवाई, डीआरडीए (उदाहरणार्थ आजीविका), डीआईसी, समुदाय पोलिटेक्नीक, जेएसएस, आईटीआई, डब्ल्यूसीडी तथा कृषि विश्वविद्यालय विस्तार सेवाएं और जिला स्तर पर अन्य अनेक को संबद्ध कर प्रशिक्षण को कारगर तथा लाभप्रद बनाया जा सकता है।
- युवा समन्वयक को प्रशिक्षुओं के स्वरोजगार के लिए जिला प्रशासन, बैंकों, उद्योगों, नाबार्ड, औद्योगिक और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

बजट प्रति कार्यक्रम

तीन **माह की अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु बजट** :

विवरण	ब्यौरा	राशि (रू. में)
प्रभिाक्षकों को मानदेय	रू. ५००० प्रति माह के लिए	२०,०००
कच्चा माल तथा अनुरक्षण	रू. १५०० प्रति माह के लिए	६,०००
मृदु कौ ाल प्रि ाक्षण के लिए संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय	रू. ३००० **तीन** माह के लिए	३,०००
संगठन खर्चे		१,०००
योग		**३०,०००**

कौशल विकास केन्द्रों का निरीक्षण

राज्य निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा इन केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए। **जिला** युवा समन्वयक को कार्यक्रम के दौरान कम से कम एक या दो बार दौरा करना चाहिए।

अ-परिमाणयोग्य गतिविधियों पर कार्यक्रम का प्रभाव

- ग्रामीण महिलाओं में अपने स्वयं की संस्थाओं का प्रबंध करने का आत्म विश्वास।
- सामाजिक व्यवहारों की पारंपरिक प्रणाली में धीरे धीरे तथा आमूल-चूल परिवर्तन (पारिवारिक प्रतिबंध घर के अंदर रहें)।
- आय सृजन हेतु जिम्मेदारी की भावना।
- जीवन की अनिवार्य जरूरतों का प्रभावन और ज्ञान जैसेकि बाल रोगप्रतिरक्षण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, पोषक आहार/स्वच्छ पेय जल, आत्म स्वच्छता तथा परिवार नियोजन, शिशु अंतराल कार्यक्रम का महत्व।
- गांव, जिला, कमिश्नरी, राज्य तथा देश के किसी अन्य भाग में भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आत्म प्रेरण तथा सक्रियता।

५. कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

युवाओं को अपनी कला और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने और सराहना करने तथा एक दूसरे के साथ भातृत्व जुडाव को समझने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य

- ग्रामीण युवाओं को अपनी कला सांस्कृतिक प्रतिभा दर्शाने तथा उसका संरक्षण तथा प्रोत्साहन सुकर बनाने का अवसर प्रदान करना।
- ग्रामीण कलाकारों को अपने उत्पादकों का प्रि ित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और कौ ाल उन्नयन के लिए प्रोत्साहित करना।

रणनीतियां तथा गतिविधियां

- युवजनों की आंतरिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा पारम्परिक और ग्रामीण हस्तशिल्पों को लोकप्रिय बनाना
- कला और सांस्कृतिक का भाग बनने के लिए युवा शिल्पियों को प्रोत्साहित करना
- जिला युवा सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए जिला युवा समन्वयक द्वारा एक समिति गठित की जाएगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा :

पदनाम	स्थिति
जिला युवा समन्वयक	अध्यक्ष
०२ एनवाईसी स्वयंसेवक	सदस्य
लेखा लिपिक सह टंकक	सदस्य सचिव

- समिति आवश्यकता के अनुसार एक बजट तैयार करेगी। बजट तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राशि का उपयोग भोजन-आवास, टीए/डीए, हॉल किराया, स्टाल संस्थापन, आयोजन संबंधी खर्चों इत्यादि के लिए किया जाएगा।
- जिला युवा सम्मेलन और युवा कृति का आयोजन एक योजनाबद्ध और सुचारू रूप से करने के लिए भिन्न उप-समितियां जैसे : आवास एवं भोजन, मीडिया तथा प्रचार, युवा कृति और युवा सम्मेलन गठित की जानी चाहिए।

कार्यक्रम की संख्या : ०१

कार्यक्रम की अवधि एवं स्तर : ०१ दिन तथा जिला स्तर

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम १२० प्रतिभागी

- ✓ जिला स्तरीय कार्यक्रम में न्यूनतम १५ टीम प्रतिभागिता करेंगी
- ✓ युवा अतिथि कलाकारों द्वारा विशेष कला प्रदर्शनों की भी व्यवस्था की जा सकती है।

समय सीमा दिसम्बर एवं जनवरी

बजट : २०,०००/-

सहयोगी अभिकरण

- जिला प्र ाासन, सांस्कृतिक केन्द्र, जिला भाशा एवं संस्कृति विभाग, जिला जनसंपर्क कार्यालय, क्षेत्र प्रचार कार्यालय, विकास, एनजीओ तथा अन्य

६. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन

उद्‌देश्य

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस विशेष के उद्देश्य, विषय तथा महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

प्रत्येक जिला ने.यु.के. निम्नलिखित सूची से कम से कम २५ महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन करेगा। १० दिन अनिवार्य होंगे जबकि १५ दिन ऐच्छिक होंगे।

दिवस का नाम	**प्रकार**
राश्ट्रीय युवा दिवस (१२ जनवरी) एवं सप्ताह (१३-१९ जनवरी)	**अनिवार्य**
संविधान दिवस - २६ जनवरी	
भाहीदी दिवस (२३ मार्च)	
डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती (१४ अप्रैल)	
वि व पर्यावरण दिवस (५ जून)	
अंतर्राश्ट्रीय योग दिवस (२१ जून)	
स्वतंत्रता दिवस (१५ अगस्त)	

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म दिवस (२५ सितम्बर)	
गांधी जयंती (वि व अहिंसा एवं स्वच्छता दिवस) (२ अक्टूबर)	
नेहरु युवा केन्द्र संगठन स्थापना दिवस (१४ नवम्बर)	
नेताजी का जन्म दिवस (२३ जनवरी)	**ऐच्छिक**
महात्मा गांधी बलिदान दिवस (३० जनवरी)	
वि व स्वास्थ्य दिवस (७ अप्रैल)	
पंचायती राज दिवस (२४ अप्रैल)	
विनायक दमोदर सावरकर जन्म दिवस (२८ मई)	
भयामा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस (६ जुलाई)	
वि व युवा कौ ल दिवस (१५ जुलाई)	
सद्‌भावना दिवस (२० अगस्त)	
राश्ट्रीय क्रीडा दिवस (२९ अगस्त)	
हिन्दी दिवस (१४ सितम्बर)	
वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राश्ट्रीय दिवस (१ अक्टूबर)	
सतर्कता दिवस (२६ अक्टूबर)	
राश्ट्रीय एकता दिवस के रुप में सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म दिवस (३१ अक्टूबर)	
कौमी एकता दिवस (१९ नवम्बर)	
विकास दिवस (१७ सितम्बर)	

अवधि : एक दिन प्रत्येक

प्रतिभागी प्रति कार्यक्रम : न्यूनतम १०० (प्रत्येक गतिविधि में युवा, भिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेताओं, विकास विभागों के प्रमुखों तथा समाज के गणमान्य नागरिकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए)

बजट

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्तर	बजट (रू. में)
१	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजन इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह का आयोजन भी शामिल है।	ब्लॉक, जिला	५०,०००
२	राश्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह		२५,०००
	कुल		**७५,०००**

राष्ट्रीय युवा दिवस एवं राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन (१२ से १९ जनवरी)

दिनांक १२ जनवरी को स्वामी विवेकानन्द जी की जयन्ती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के बाद एक सप्ताह के लिए दिनांक १३ से १९ जनवरी तक नई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस अवधि के दौरान सप्ताह के प्रत्येक दिन स्वामी विवेकानन्द जी के आदर्शों एवं उद्देश्यों पर आधारित कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिससे की युवाओं को राष्ट्र विकास के लिए प्रेरित किया जा सके और उनमें स्वामी विवेकानन्द जी की युवा जीवन की भावना का संचार किया जा सके। इस आयोजन के दौरान क्षमतावान युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर किया जाता है। समस्त नेहरू युवा केन्द्र १२ से १९ जनवरी तक राष्ट्रीय युवा दिवस/सप्ताह का अपने जिले में पूर्ण जोश के साथ आयोजन करेंगे।

कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ

१२ जनवरी (राष्ट्रीय युवा दिवस)

राष्ट्रीय युवा दिवस के संबंध में दिनांक १८.०४.२०१६ को प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्दे ा दिए गए कि समस्त युवाओं को युवा के महत्व को उजागर करने की गतिविधियों से संबंधित राश्ट्रीय कारणों और इसके साथ-साथ आत्म सम्मान की भावना को एकत्रित किया जाये और वि ाल राश्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाामिल किया जाये जिससे कि वे इस यादगार समय का अभिन्न हिस्सा बन सके इस उद्दे य के लिए एक छोटी सी टीम का गठन किया गया है।

इसलिए, केन्द्रित गतिविधि का समाज के सभी वर्गों के युवाओं की सहभागिता का आयोजन किया जाये और जोकि इसमें भविश्य में प्रत्येक स्तर पर होने वाली गतिविधि में भाग ले सकें

और अपना योगदान दे सकें और इस संदे ा का प्रचार-प्रसार कर सकें। इस दिन पर आयोजित कार्यक्रमों को समस्त मीडिया और प्रेस के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए।

- आयोजन सहभागिता एवं रक्तदान शिविर में
- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर चर्चा/सम्भाषण
- राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन, एकता, समग्र विकास और व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में युवाओं की भूमिका पर वाद विवाद
- स्वामी विवेकानन्द जी की शिक्षाओं और दर्शन पर युवाओं के बीच भाशण प्रतियोगिता
- युवा समाज के लिए क्या कर सकते हैं और समाज युवाओं के लिए क्या कर सकता है विषय पर बैठक/सम्मेलन (भूमिका एवं उत्तरदायित्व)
- राश्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका

१३ जनवरी (सांस्कृतिक दिवस)

- राष्ट्रीय और समाज से संबंधित विषय पर युवाओं पर समूह गान
- हमारे स्वतंत्रता सैनानियों द्वारा किये गए बलिदान विषय पर युवाओं की सहभागिता से स्थानीय लोकगीत, कटपुतली शो, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा आदि का आयोजन।
- गॉव की विभिन्न कलाओं और हस्तकला आदि पर कार्यक्रम

१४ जनवरी (प्रतिभागिता दिवस)

- युवाओं के बीच "युवा और पंचायती राज" "स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका" "राष्ट्र विकास में युवाओं की भूमिका" "सुखा और बाढ़ में युवाओं की भूमिका" "भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में युवा" "सामाजिक बुराईयों, दहेज, बाल मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, नशे के दुष्परिणाम, एड्स जुआ और छूआछूत को दूर करने, में युवाओं की भूमिका" "राष्ट्रीय एकता के लिए युवा" साम्प्रदायिक एकता के लिए युवा जैसे विषयों पर निबंध, वाद विवाद,चित्रकला प्रतियोगिता।
- महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर युवाओं द्वारा एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन।

१५ जनवरी (सामाजिक सेवा दिवस)

- युवा मण्डल सदस्यों/स्वयंसेवकों की सहभागिता से गांवों से संबंधित विशेष कार्यक्रम जैसे पर्यावरण संरक्षण और सुझाव सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा को छोड़ने पर जांच, प्राथमिक शिक्षा छोड़कर जाने वालों का नामांकन, बाल मजदूरी पर चेक महिलाओं पर अत्याचार, बालिका शिशु की देखभाल आदि पर जांच।
- सफाई अभियान जैसे गांवों के साझा क्षेत्र की सफाई : "गांवों में सफाई रखने के लिए अभियान"

- गांवों में जंगली घास उन्मूलन पर कार्यशिविर जैसे (गाजर घास, लान्टाना, जल कुम्भी) आदि
- युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर
- सड़कों की मरम्मत, गड्डों का भराव, तलाबों से गाद निकालना आदि कार्य परियोजना में युवाओं की सहभागिता

१६ जनवरी (शारीरिक फिटनेस दिवस)

- खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
- साहसिक प्रोत्साहन से संबधित कार्यक्रम
- परम्परागत और ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन

१७ जनवरी (शान्ति दिवस के लिए युवा)

- सद्भावना यात्रा और रैली
- देश में शान्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रभात फेरी, वाद-विवाद, भाषण एवं सम्मेलन
- इस दिवस पर नाटक और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन
- धर्म निरपेक्षता, शान्ति और राष्ट्रीय एकता के सन्देश का प्रचार करने के लिए युवाओं द्वारा मानव कड़ी का गठन

१८ जनवरी (कौशल विकास दिवस)

- व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से युवाओं द्वारा तैयार किये गये सामान की प्रदर्शनी
- प्रदर्शन के प्रावधान के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी
- युवाओं को वेतन एवं स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपलब्ध योजनाऐं एवं अवसरों के बार में जागरूक करना

१९ जनवरी (जागरूकता दिवस)

- युवाओं से सम्बन्धित विषयों विशेषकर नशे से बचाव, एच आई वी एड्स, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन आदि सामाजिक विकास के उद्देश्यों से संबंधित विषयों पर क्षेत्र प्रचार इकाईयों की सलाह से फिल्म शो।
- सरकार द्वारा आधुनिक कृषि अभ्यास, कौशल विकास, आर टी आई, मनरेगा सरकार के अन्य कार्यक्रम आदि पर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम की सूचना का प्रचार करना।
- राज्य/जिले के किसी विशेष व्यक्ति द्वारा युवाओं को सम्बोधन
- युवा दिवस का समापन, एवं पुरस्कार वितरण आदि

८. **जिला युवा सम्मेलन**

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के उन मुद्दों को सामने लाना तथा जोर शोर से उठाना है जिनको संयुक्त रूप से स्वयंसेवा की भावना के साथ समयबद्ध ढंग से हल किए जाने की जरूरत है। इस प्लेटफार्म का उपयोग ने.यु.के.सं तथा अन्य विभागों की विद्यमान तथा नए प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार तथा उन्मुखीकरण और विकास प्रक्रिया में युवाओं की प्रभावोत्पादक भागीदारी के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए भी किया जाएगा।

उद्देश्य

- युवा नेताओं को अपनी बात कहने, अनुभव साझा करने तथा युवा सशक्तीकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां सुझाने के लिए अवसर और मंच प्रदान करना

रणनीतियां तथा गतिविधियां

जहॉ पूर्णकालिक जिला युवा समन्वयक है वहॉ दिनांक २१.०६.२०१७ को ५०० युवाओं को भाामिल करते हुए मास योगा/प्रद र्शन सामान्य योग प्रोटोकॉल के रुप में २७८ जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जायें।

शेष ३४५ जिलों में सम्मेलन वित्त वर्श की ३ तिमाही में आयोजित किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से आम लोगों और युवाओं के बीच अर्जित ज्ञान का प्रसार करने के लिए युवाओं को तैयार

५०० युवाओं की एक न्यूनतम की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्रों और विषयों पर भी जिला युवा सम्मेलन के भाग के रुप में चर्चा की जानी चाहिए और उनके परिणाम को प्रलेखित किया जाना चाहिए।

१. योग - सद्भाव और शांति के लिए योग और शारीरिक और आगे के लिए योग

 योग न केवल एक व्यक्ति के शरीर विकसित करता है बल्कि दिमाग को भी विकसित करता है और इसके साथ-साथ यह समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है।

 योग और इसके महत्व और बिमारियों के इलाज में उपयोगिता पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा

२. माननीय प्रधानमंत्री की वित्तीय और सामाजिक समावेशन योजनाएं - जन धन योजना, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य योजनाओं।

३. स्टार्ट अप इंडिया - स्कील इंडिया

४. साफ-सफाई अभियान, प्रतिमा की सफाई, टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और फुटबॉल प्रोत्साहन।

५. नरेन्द्र मोदी मोबाईल एप्प डाउनलोड एवं अपलोड करना कि जिससे कि विचार, सुझाव और कार्यवाही फोटोग्राफ भेजे जा सकें और इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

६. नई सरकार की कौन-सी योजनायें और कार्यक्रम युवाओं तक पहुँच गई क्या वे युवा के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं।

७. स्वच्छ भारत अभियान

८. आज की शिक्षा प्रणाली - ऐसे क्षेत्र जहॉ सुधार की जरूरत है - आपके क्या सुझाव हैं।

९. युवाओं के व्यक्तिगत भारीरिक और खेल विकास - कैसे युवा और संघर्ष के प्रबंधन में योग के लाभ के बीच रुचि विकसित करने पर सुझाव।

१०. कौशल विकास - युवाओं की राय कि कौन-सा कौशल महत्वपूर्ण है और किस प्रकार का कौशल प्रशिक्षण वे लेना चाहते हैं।

११. अन्य कोई विशय जिस पर युवा बात करना चाहते हों।

सम्मेलन की अवधि : ०१ दिन

प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम १०० (पुरुष तथा महिलाओं का समान अनुपात) जिले के सभी भागों से युवा मंडलों तथा महिला मंडलों से।

कार्यक्रमों की संख्या : एक

समय सीमा : तीसरी तिमाही

बजट **रुपये ३००००**

९. जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृश्ट युवा मंडलों को पुरस्कार (एओवाईसी)

परिचय

उत्कृश्ट युवा मंडल को पुरस्कारों की स्कीम युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। युवा मंडल बुनियादी तौर पर युवाओं का एक संघ होते हैं जो क्षेत्र में स्वेच्छा से साक्षरता, पर्यावारण समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, दहेज, अस्पृश्यता उन्मूलन, वनीकरण,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त, युवा मंडल स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामाजिक अभियान, जागरूकता अभियान चलाते हैं। वे समुदाय विकास, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में भी भिन्न स्तरों पर विभिन्न विकास विभागों तथा अभिकरणों के साथ समन्वय में अग्रणी रहते हैं। युवा मंडल ने ग्रामों में सहयोगपूर्ण तथा स्वैच्छिक ढंग से **परिसम्पत्तियों** के सृजन तथा सांगठनिक कौशल निर्माण में ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान की है।

उद्देश्य

"योजना का मूल उद्देश्य" युवा मंडलों के विकास को प्रोत्साहन देना है, जो सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक माने जाते हैं। यह महसूस किया गया है कि युवा मंडल राष्ट्र के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसेकि साक्षरता, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता, खेल, गांवों में टिकाऊ समुदाय **परिसम्पत्तियों** का सृजन इत्यादि।

योजना में युवा मंडलों का विकास तथा उनकी विकासात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडलों को समुदाय कल्याण तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों के लिए आगे आने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस स्कीम के प्रारंभन से सरकार को आशा है कि न केवल मौजूदा युवा मंडल एक अधिक सार्थक भूमिका निभाएंगे अपितु भविष्य में युवा मंडलों की संख्या में वृद्धि भी होगी।

यह योजना तीन स्तरों पर चलाई जाती है जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर हैं। प्रारंभिक चयन जिला स्तर पर किया जाता है तथा राज्य स्तर से होते हुए अंत में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। जिला स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अर्हता प्राप्त करने वाले विजेता स्वतः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए अर्ह हो जाते हैं।

पुरस्कार

जिला स्तर पर विजेता को **रू. २५,०००** तथा **राज्य** स्तर पर **रू. १,००,०००** और **राष्ट्रीय** स्तर पर **रू. ५,००,०००, रू. ३,००,०००** तथा **रू. २,००,०००** के **प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार** एवं एक प्रशस्ति पत्र/प्रमाणपत्र दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए असाधारण युवा मंडलों को पुरस्कारों की स्कीम की एक प्रति **परिशिष्ट-१०** पर दी गई है।

नोट :

- **जिन युवा मण्डल/महिला मंडल को विगत् दो वर्षो में उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।**
- केवल वही युवा मण्डल एओवाईसी योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो पंजीकृत हैं और जिला नेयुके के साथ संबद्ध हैं।

- आवेदक युवा मण्डलॉ की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी
- जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मण्डल जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मण्डलॉ को चुनने और देने के लिए समय रेखा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
- पुरुस्कार विजेताओं का चयन केवल नामित चयन समितियों द्वारा किया जाना चाहिए।

९ . महात्मा गांधी युवा स्वच्छता महा अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक १८.०४.२०१६ में आयोजित बैठक के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए थे कि युवाओं को एकत्रित किया जाये और उन्हें स्वच्छता गतिविधियों में भाामिल किया जाये जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक मूर्तियों की सफाई और गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिया गया है कि युवा को जल संरक्षण (पानी बचाओ) और जल संचयन की गतिविधियों में लगाया जाये।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एक नए मेगा कार्यक्रम (कार्य शिविर) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ भारत भर में १५० जिलों में पायलट आधार पर लागू करने के लिए शुरू किया गया है।

लक्ष्य

समुदाय संपत्ति बनाने के लिए युवा क्लब के सदस्यों के बीच स्वयंसेवा और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हैं।

युवाओं के बीच स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की आव   यकता।

जल संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना जैसे छोटे बांधों (बोरी बांधों) का निर्माण करना, तालाबों, जलाशयों जल निकायों, चैक डैम कारखरखाव और जल संवर्धन गतिविधियॉ पर ध्यान केन्द्रित करना।

जला   ायों को विकसित करने और मनरेगा के लिए प्रधानमंत्री योजना के साथ जोड़ना।

युवाओं में श्रम की गरिमा की भावना पैदा करना।

मूल्यों और प्रथाओं को विकसित करना : स्वयंसेवा, स्वयं सहायता, हम की भावना के साथ मिलकर काम करना।

समुदाय की समस्याओं के लिए सामूहिक भावना उत्पन्न करना।

समुदायिक संपत्ति के सृजन के लिए योजना बनाने के लिए समुदाय स्तर पर व्याहारिक सहायता प्रदान करना।

<u>**कार्यान्वयन रणनीति**</u>

युवा को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सार्वजनिक मूर्तियों की साफ सफाई और अन्य आकस्मिक जरूरत के लिए संलग्न करने के लिए प्रेरित करना।

युवा स्वच्छता महा अभियान के राजदूतों की चेन की स्थापना की जाएगी।

जिलों की संख्या : १५०

जिलों का चयन :

राज्य में हर चार ने.यु.केन्द्रों पर, एक महात्मा गांधी युवा स्वच्छता महा अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। राज्य में जहां निम्नलिखित प्रकार के जिले होंगे :

क) जिला युवा समन्वयक कार्यरत हों।

ख) माननीय सांसदों /विधायकों /अन्य जनप्रतिनिधि रुचि रखते हैं।

ग) डीएम/डीसी समुदाय परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वादा करते हों।

घ) या जहां मंडल निदेशक का मानना है कि इस कार्यक्रम को एक सफल तरीके से आयोजित किया जा सकता है।

बजट : प्रति जिला १.०० लाख

राज्य निदेशकों द्वारा कार्रवाई

राज्य निदेशक ऊपर दिए गए चयन मापदंड के अनुसार जिले/जिलों का चयन करेंगे। मंडल निदे ाक ऐसे जिलों की सूची तैयार करने और अगस्त २०१७ से पहले अनुमोदन के लिए नेयुकेसं मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

इससे पहले व्यापक कार्यान्वयन योजना नेयुकेसं, मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

परियोजना की गतिविधियों के बारे में

कार्यक्रम का विषय स्वच्छता और जल संरक्षण है।

सामुदायिक संपत्ति के सृजन के प्रयासों के साथ मेगा श्रमदान शिविर (कार्य शिविर) और युवा मंडलों को अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ जोडना।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को विभागों और एजेंसियों की जल संचयन और संरक्षण, स्वच्छता और शौचालय निर्माण की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा न केवल आपस में बल्कि साथी ग्रामीणों के साथ भी करनी होगी और ग्रामीणों को इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करनी होगी।

यह भी मतलब है कि, मेगा शिविर में भाग लेने के बाद युवाओं को उनके संबंधित गांवों में इसी तरह की गतिविधियों को आयोजित करना होगा।

दिनचर्या

योग और शारीरिक स्वास्थ्य गतिविधियॉ

राष्ट्रीय ध्वजारोहण

राष्ट्रीय गान का गायन

परियोजना कार्य (श्रमदान)

जल संरक्षण एवं संचयन, वृक्षारोपण साफ-सफाई प्रतिमा की सफाई पर चर्चा एवं संभाशण प्रधानमंत्री ने वित्तीय और सामाजिक समावेशन योजना - जन धन योजना, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमायोजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्कील इंडिया, टीकाकरण के लिए इन्द्रधनुश और फुटबाल प्रोत्साहन, नरेन्द्र मोदी मोबाईल एप्प डाउनलोड एवं अपलोड करना कि जिससे कि विचार, सुझाव और कार्यवाही फोटोग्राफ भेजे जा सकें और इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

गांव की सामाजिक संरचना की गतिशीलता।

समुदाय कार्रवाई के लिए युवाओं को एकत्रित करना।

साफ-सफाई, जल संचयन और संरक्षण परियोजनाओं के लिए अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय।

युवाओं के लाभ के लिए विभिन्न विभागों के कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक गायन

कैम्प फायर

परियोजनाओं नहीं लिया जाना

निम्नलिखित परियोजनाओं/कार्य जिन्हें नहीं किया जाना है :

कच्ची सडकों की मरम्मत

सड़कों और नालियों की सफाई

गड्ढ़ों की खुदाई और गड्ढों को भरना आदि

युवा मंडलों के लिए सहायता अनुदान

क) दूसरे शब्दों में, उन परियोजनाओं, जिनको केवल एक युवा मंडल के कुछ सदस्यों के साथ पूरा किया जा सकता है, उसे कार्य शिविर के लिए परियोजना के रूप में न लिया जाये।

ख) वित्तीय मामलों में एक मेगा शिविर कार्य में अर्जित की गई संपत्तियॉ कार्यक्रम के बजट से कई गुना अधिक होनी चाहिए।

ग) हालांकि, इस तरह की गतिविधियॉ स्थानीय पहल और संसाधन जुटाकर आयोजित की जानी चाहिए।

शिविर की अवधि : यह परियोजना के कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन यह कम से कम ५ दिनों से कम नहीं होना चाहिए।

शिविर प्रति प्रतिभागियों की संख्या : न्यूनतम ५० युवा

अतिरिक्त कार्य

मेगा कार्य शिविर के लिए स्थानीय संसाधन जुटाना।

टिकाऊ और उपयोगी समुदाय परिसंपत्तियों का सृजन।

स्थानीय और आसपास के गांवों में युवा मंडल के सदस्य को भी भाग लेना चाहिए।

समन्वय

मेगा कार्य शिविर कार्यक्रम जिला प्रशासन, जिला परिषद, पंचायत, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वित कर आयोजित किया जाना चाहिए।

ऊपर का पालन करें

युवा मंडल के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव सुनि चत किया जाना चाहिए कि कार्य ि ाविर का का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के प्रभाव - मूल्यांकन

कार्यक्रम के प्रभाव एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए :

निगरानी और परियोजना का मूल्यांकन

परियोजना का पर्यविक्षण राज्य निदे ाक द्वारा किया जाना चाहिए।

तदनुसार, अंतिम रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

१० युवा आद र् ग्राम विकास कार्यक्रम

जिला नेयुकेसं युवाओं द्वारा मॉडल गांव के रूप में एक गांव का विकास करेगा। इस प्रयोजन के लिए, अन्य विभागों एवं एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत चिहिंत वरीयता क्षेत्रों में कार्यक्रम एवं गतिविधियॉ आयोजित की जायेंगी।

कार्रवाई के लिए चिहिंत क्षेत्रों में गांव के युवाओं को कार्य को करने के लिए कार्य योजना विकसित कर संबंधित विभागों के अधिकारियों और संसाधन व्यक्तियों की मदद से अभिमुखीकरण कराना होगा।

संकल्पना

इस पहल का मुख्य विचार है कि :

१. युवाओं को उनकी रुचि के क्षेत्र में उत्कृश्ट कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।

२. उनको अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए उन्हें सक्षम और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करना।

३. युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करना।

४. युवा मंडलों के सदस्यों को स्थानीय समुदायों के सामने आने वाले सामाजिक-आर्थिक और विकास के मुद्दों पर संबोधित करने के सुअवसर उपलब्ध कराना।

५. अपने गांवों में विकास की प्रक्रिया के भागीदार के रूप में सबसे आगे उन्हें लाना।

६. युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क को मजबूत बनाना और उन्हें समाज में मान्यता प्रदान कराना।

उद्देश्य

१. गांव के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने और योजना बनाने के लिए युवाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करना।

२. विकास की प्रक्रिया और गांव समुदाय के सामाजिक कल्याण में बढ़त लेने के लिए

३. युवा कार्य समूह एवं स्वसहायता समूह के मसध्यम से ग्राम समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना।

४. चयनित क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की दिशा में योगदान करना।

गांव का चयन

भारत में जिलों की संख्या : २०० और गांव की संख्या : २०० (नेयुकेसं युवा आद र्श ग्राम (मॉडल विलेज) के रूप में विकसित करने के लिए चयनित २०० जिलों में एक गांव को चुना जाये)

जिलों का चयन :

राज्य /मंडल में हर तीन नेयु केन्द्रों पर,एक युवा आद र्श ग्राम विकास कार्यक्रम किया जाये। राज्य के ऐसे जिलों में जहां पर :

क) जिला युवा समन्वयक कार्यरत हों।

ख) माननीय सांसदों /विधायकों /अन्य जनप्रतिनिधि रुचि रखते हैं।

ग) डीएम/डीसी समुदाय परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वादा करते हों।

घ) या जहां मंडल निदेशक का मानना है कि इस कार्यक्रम को एक सफल तरीके से आयोजित किया जा सकता है।

१. सांसद आदर्श ग्राम योजना, अन्य विधायक/विधान पार्षद द्वारा गांद लिए गए गांव के अलावा एक गांव

२. एक सक्रिय युवा मंडल हो

३. युवा मंडल में निम्नलिखित होना चाहिए :

ए) उनके सदस्य सक्रिय, भाग लेने के इच्छुक, अनुभवी, संसाधनपूर्ण होने चाहिए, अपने गांव को नेयुकेसं आद र्श ग्राम बनाने के लिए रुचि रखते हों।

बी) सामाजिक कल्याण और विकास के क्षेत्र में गतिविधियों का ट्रैक रिकॉर्ड सिद्ध किया हो।

सी) ग्राम पंचायत और अन्य विकास विभागों और एजेंसियों के साथ प्रभावी संपर्क हो।

ध्यानाकर्षण क्षेत्र

खुल में भौच से मुक्त गांव

स्वच्छता, सीवरेज के अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता

जल संचयन और प्रबंधन

ड्रिप सिंचाई

प्रधानमंत्री की सामाजिक और वित्तीय समावेशन योजनाएं - युवा एवं जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाना और सुविधा प्रदान करना।

कृषि भूमि मृदा कार्ड

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

फुटबॉल खेल क्लब

वृक्षारोपण

कौशल विकास

निवारक स्वास्थ्य - योग

पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजना लिंकेज

टीकाकरण और प्राथमिक विद्यालय के नामांकन

अनुपालन के लिए सुझाई गई प्रक्रिया

१. घोषणा करें कि युवा मंडल गांव को नेयुके मॉडल विलेज बनाने की दि ा में काम करेगा।

२. जिला युवा समन्वयक द्वारा गांव में युवा मंडल के साथ एक बैठक आयोजित की जाये और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए मार्गद िन करें।

३. ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत के सदस्य, ओपिनियन नेताओं और अन्य हितधारकों के साथ बैठक

४. समस्या के मुद्दों पर चर्चा एवं बैठक

५. युवा मंडल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर प्राथमिकता विकास क्षेत्रों सूची जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।

६.अन्य सामाजिक कल्याण की गतिविधियों की सूची जिन पर युवा मंडल द्वारा कार्यवाही की जानी है।

७. अपने स्वयं के विकास के लिए क्षेत्रों की सूची तैयार करना जैसे शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता, कौशल विकास, प्रशिक्षण, जीवन कौशल शिक्षा, व्यक्तित्व/नेतृत्व विकास, उद्यमिता, आदि

८. युवा मंडल सदस्यों द्वारा स्वैच्छा से किसी मुद्दे/क्षेत्र का एक हिस्सा बनना और उस समस्या का समाधान करना और कार्य समूह का हिस्सा बनना।

युवा कार्रवाई समूह और स्वयं सहायता समूहों का गठन

ग्रामीण जीवन, स्थानीय युवाओं के सामने आने वाले मुद्दों की पहचान कर समाधान करने के लिए जो सामुहिक रुप से समाधान करने के लिए नेतृत्व लेने के इच्छुक हों उन्हें युवा कार्रवाई समूह और स्वसहायता समूह में बदलना।

वे ग्राम पंचायत, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य से यहयोग प्राप्त कर सकने में जो कि समस्याओं के समाधान में योगदान कर सकते हैं। युवा कार्य समूह एवं स्वसहायता समूह जिन क्षेत्रों के लिए गठित किये जा सकते हैं। वह केन्द्रित क्षेत्र ऊपर ४ में दिए गए हैं।

संयुक्त योजना तैयार करना।

१. युवा कार्य समूह द्वारा कार्य योजना तैयार करना।

२. युवा कार्य समूह की कार्य योजना के आधार पर युवा मंडल के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, सेवा प्रदाताओं और अन्य लोगों के साथ विचार विम f करके गांव के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करेंगे।

३. संयुक्त योजना के प्रकाशन और गांव के प्रमुख स्थानों पर इसे प्रदर्शित करना।

४. संयुक्त योजना की एक प्रति जिला युवा समन्वयक के लिए प्रदान को जाये।

रणनीतिक दृष्टिकोण

उपरोक्त वर्णित उद्दे यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को निम्नलिखित दृश्टिकोणों से निर्दे ात किया है।

१. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को प्राप्त करना और निजी एवं स्वैच्छिक पहल करना जिससे कि लोगों की आकांक्षा के साथ व्यापक विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

२. स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आदि और अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना।

३ परिणामों और स्थिरता के लिए विकास विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना।

४ नेयुकेसं के आद ा गांव विकसित करने के लिए नेताओं (जिला परिशद, ग्राम पंचायत आदि) और अन्य तक पहुॅच बनाना।

५ युवा मंडल के सदस्यों की क्षमता को बढ़ाना।

नेहरु युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक की भूमिका

१. युवा मंडल को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए।

ए) संबंधित स्थानीय मुद्दों और विकास के क्षेत्रों को चिहिंत करना।

ख) चिहिंत केन्द्रित क्षेत्रों पर जोर देते हुए चर्चा करना और मंडलों को सुविधा उपलब्ध कराना।

ग) अन्य प्राथमिकता सामाजिक कल्याण गतिविधियों की सूची तैयार करना।

घ) संयुक्त कार्य योजना तैयार कर ना।

२. ग्राम पंचायत, सेवा प्रदाताओं, सरकार के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करने में मदद करना।

३. गोद लिए गए गांवा को नेयुकेसं के आद ा गांव के रुप में विकसित करने के लिए संयुक्त कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए युवा मंडल को समय-समय पर निर्दे ात करना।

बजट : रु ५०,००० प्रति जिला

राज्य निदेशकों द्वारा कार्रवाई

राज्य निदेशक ऊपर दिए गए चयन मापदंड के अनुसार जिले/जिलों का चयन करेंगे। राज्य निदे ाक ऐसे जिलों की सूची तैयार करने और अगस्त २०१७ से पहले अनुमोदन के लिए नेयुकेसं मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

इससे पहले व्यापक कार्यान्वयन योजना नेयुकेसं, मुख्यालय को सितम्बर, २०१७ से पहले प्रस्तुत करेंगे।

अन्य कार्यक्रम

१. युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक (डीएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि डीएसीवाईपी का पुनर्गठन किया गया है, इसलिए जब तक समिति का गठन और अधिसूचित नहीं होती है तब तक संबंधित जिला युवा समन्वयक अपने जिले की वार्शिक कार्य योजना २०१७-१८ निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगें और इसे अपने संबंधित राज्य निदे ाकों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें।

बजट

प्रति जिला ने.यु.के. बैठकों की संख्या	**राशि प्रति जिला रू. १,०००/- प्रति बैठक (रू. में)**
न्यूनतम ०२ बैठक पहली बैठक - दूसरी तिमाही दूसरी बैठक - चौथी तिमाही	२,०००. राशि का उपयोग जलपान तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए
तथापि हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए	

राज्य स्तरीय के कार्यक्रम

युवा कार्यक्रमों पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक (एसएसीवाईपी)

जैसाकि आप अवगत हैं कि एसएसीवाईपी का पुनर्गठन किया गया है, इसलिए जब तक समिति का गठन और अधिसूचित नहीं होती है तब तक संबंधित राज्य निदे ाक अपने अधीनस्थ जिला नेहरु युवा केन्द्रों के वर्श २०१५-१६ के वार्शिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगें।

बजट

बैठकों की संख्या	**राशि प्रति बैठक रू. ३,०००/- प्रति बैठक (रू. में)**
न्यूनतम ०२ बैठक पहली बैठक - दूसरी तिमाही दूसरी बैठक - चौथी तिमाही	६,००० राशि का उपयोग हाई टी तथा अन्य सांगठनिक खर्चों के लिए किया जाना चाहिए, जिनमें फाइल फोल्डर, राइटिंग पैड, पेन, संदर्भ सामग्री, फोटोग्राफ इत्यादि शामिल हैं ।
हर तिमाही में बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास करें	

२. योजना, समीक्षा और अनुवर्तन बैठक

उद्देश्य

- ने.यु.के.सं के चालू कार्यक्रमों और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना तथा रचनात्मक हस्तक्षेपों के सुझाव देना।

कार्यक्रम की विषयवस्तु

- आकस्मिकता योजना और जरूरत के समय कार्यान्वयन हेतु रणनीति
- सूक्ष्म-योजना का अभिसूत्रण
- प्रस्तावित गतिविधियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण
- युवा मंडलों की वार्षिक गतिविधियों की सूची तैयार करना
- गहन अनुवीक्षण तथा समीक्षा

गतिविधियां

- ने.यु.के. के निर्धारित लक्ष्यों तथा अर्जित लक्ष्यों और चालू तथा भावी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रगति, अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा करना
- युवा विकास हेतु नवोन्मेषी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों पर विचार करना तथा योजना बनाना और युवा मंडलों के मौजूदा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव देना।
- युवा विकास के लिए सरकार (राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों) की चालू स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना, समन्वय को गति देना और संसाधन जुटाना।

कार्य-विवरण

- इन बैठकों का आवश्यकता तथा जब और जहां इनका आयोजन अपेक्षित है, के अनुसार आयोजन का निर्णय राज्य निदेशक का विशेषाधिकार होगा।

बैठक की अवधि	: ०१ दिन
प्रति बैठक प्रतिभागियों की संख्या	: सभी उप निदेशक तथा जि.यु.स.
राज्य में बैठकों की संख्या	: ०४
समय रेखा	: दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही
चार बैठकों हेतु बजट	: रू. ३०० प्रति बैठक तथा प्रति उप निदेशक एवं मंडल का जिला युवा समन्वयक

३. वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट प्रतियोगिता

लक्ष्य

किए कार्यक्रमों और गतिविधियों और उनकी उपलब्धियों के दस्तावेज करने के लिए क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना।

मुख्य विशेषताएं

वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट/प्रलेखन प्रतियोगिता राज्य स्तर पर जिला नेयुकेसं के बीच आयोजित किया जाएगा।

सर्वश्रेष्ठ गतिविधि रिपोर्ट को उचित रूप से सम्मानित किया जाएगा। यह एक मिसाल कायम करेगा कि अन्य जिला नेयुकेन्द्र एक प्रस्तुती के रुप में गतिविधि रिपोर्ट तैयार करेगा।

चयन के लिए मानदंड सरल, सटीक और प्रभावी होगा।

पुरस्कार रा ा का उपयोग आव यकता आधारित परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

पुरस्कार की संख्या : ४४ पुरस्कार

पुरस्कार एक मंडल में जिलों की संख्या के आधार पर दिया जाएगा। मानदंड इस प्रकार है :

२० से अधिक जिलों के लिए - १ पुरस्कार

२१ - ४० जिले - २ पुरस्कार

४१ से अधिक जिले - ३ पुरस्कार

पुरस्कार राशि

रुपये ५०,०००/- प्रथम

रुपये ३०,०००/- द्वितीय

रुपये २०,०००/- तृतीय

४. इंटर्नशिप कार्यक्रम

इंटर्न के साथ आरंभ करने के लिए इसका आरंभ मंडल कार्यालय और नेयुकेसं मुख्यालय से किया जायेगा।

उद्देश्य

छात्र युवाओं के लिए नेयुकेसं के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के इच्छुक छात्रों को अपने अनुभव को साझा करने के साथ साथ युवाओं के विकास एवं स ाक्तिकरण के साथ सामाजिक इंजीनियरिंग में प्रि ाक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रतिष्ठित संस्थानों से युवा सोच के साथ नेयुकेसं के अधिकारियों को बातचीत करने का और नवोदित विद्वानों से विचारों और सूचनाओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा जिससे नीति और योजना के लिए मूल्य संवर्धन का साबित हो सकता है।

छात्रों को एक रुपरेखा प्रदान की जायेगी जिसके द्वारा उनके उनके शैक्षिक अनुभव बढ़ाया जा सकेगा और व्यावहारिक कार्य के माध्यम से नेयुकेसं को काम करने में सहयोग मिलेगा।

कार्यक्रम की उपयोगिता

यह कार्यक्रम नेयुकेसं और युवाओं दोनों के लिए उपयोगी होगा।

इंटर्न को नेयुकेसं के कार्यों, अपने कार्यक्रमों, गतिविधियों, युवा मंडलों के नेटवर्क, नई पहल के बारे में और इसके साथ साथ क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में बताया जायेगा और उन्हें अनुभव देने के लिए गतिविधियों की प्रक्रिया में भामिल किया जायेगा।

इंटर्न को एक विशेष क्षेत्र/कार्यक्रम के एक अध्ययन के लिए और इस पर नेयुकेसं की ताकत, कमजोरियों और सुधार के सुझाव पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्रता

क) स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और शोध के जो छात्र, अधिमानतः मानव विज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन, कानून और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई कर रहे हो वे छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

ख) छात्रों का जुडाव नेयुकेसं के साथ अवैतनिक होगा और ६ माह से अधिक और डेढ़ माह से कम नहीं होगा। ब ार्ते उन्होंने ३ या ४ वर्श के डिग्री कार्यक्रम दो या तीन साल पूरे कर लिए हों।

ग) कार्यक्रम के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में भाशा प्रवाह और स्थानीय भाषा का ज्ञान वांछनीय है।

इंटर्न की संख्या : १०० (३ प्रति मंडल कार्यालय)

स्तर : मंडल और राश्ट्रीय

बजट रू ५,०००/- प्रति इंटर्न

संभावित कार्य क्षेत्र

क) व्यावहारिक परियोजना प्रस्ताव, मानकों और मॉड्यूल जोकि (प) नेयुकेसं युवा गतिविधियॉ (पप) नेयुकेसं के युवा मंडलों के विकास और उनके सदस्यों के स ाक्तिकरण की रणनीतियॉ (पपप) निगरानी और पर्यविक्षण (पअ) दस्तावेजों के मानकीकरण (α) सफलता की कहानियॉ और सर्वोत्तम प्रथाओं (अप) विभिन्न गतिविधियों पर मॉड्यूल और आईईसी साहित्य से संबंधित हों।

ख) नेयुकेसं में प्रचलित निरीक्षण, निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई एवं मूल्यांकन प्रणाली।

ग) युवाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत बनाने की वकालत, जागरूकता, सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों विशिष्ट प्रलेखन एवं सुझाव।

घ) नेयुकेसं की गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की आकांक्षाओं, जरूरतों, इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाये और इसे अपेक्षित परिणाम के साथ प्राप्त करने के क्षेत्र पर अनुसंधान

ई) युवा और अन्य पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण की आव यकता और कैसे

(उपरोक्त सूची उदाहरार्थ है लेकिन संपूर्ण नहीं)

आवेदन प्रक्रिया

एक) आवेदन शैक्षिक संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा और आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पंजीकृत करा सकते हैं।

आवेदन विधिवत भरा हो

जीवन वृत्त

कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य/विभाग प्रमुख/रिसर्च गाइड द्वारा नेयुकेसं के मंडल निदे क को अभ्यार्थी के इंटर्नशिप कार्यक्रम पर विचारार्थ पत्र और उसमें अभ्यार्थी द्वारा जिस विशय पर इंटर्नि प करनी हो उसका विवरण भी दिया हो। पत्र में यह भी द ार्या गया हो कि छात्र नेयुकेसं के नामित अधिकारियों का निर्दे ों का अनुपालन, नियमों का अनुपालन, अनु ासन, समय की पाबंदी का अनुपालन करेगें और गोपनीयता को बनाये रखेंगे, और मंडल निर्दे कों की लिखित अनुमति के बिना किसी दस्तावेज या निश्कर्श का खुलासा नहीं करेंगे। आवेदकों का विवरण अनुबंध-१३ में दिए गए प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाये।

समस्त आवेदनों की जांच और छंटनी नेयुकेसं से संबंधित राज्य निदे क/प्र ासन द्वारा पात्रता क्षमता के आधार पर की जायेगी।

शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों को तालिका में उनके अकादमिक रिकॉर्ड, पाठ्यक्रम, संस्थान/वि वद्यिालय का नामांकन आदि विवरण के साथ द ार्या जायेगा और इसे नेयुकेसं मुख्यालय और राज्य कार्यालय में गठित होने वाली समिति के सम्मुख जैसा भी मामला हो, को अंतिम निर्णय हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

नियम और शर्तें

क) भारतीय नागरिकों के लिए लागू है।

ख) इंटर्नशिप कार्यक्रम एक पूर्णकालिक आधार पर होगा जिसमें राजपत्रित अवका ा को छोड़कर सप्ताह के पॉच दिन होंगे।

ग) चयन करने पर, १इंटर्नशिप कार्यक्रम करार१ हस्ताक्षर के लिए पुष्टि करने वाले उम्मीदवारों को भेज दिया जाएगा और यह आरंभ होने की तिथि से पहले वापस आ जाना चाहिए। नेयुकेसं के साथ इंटर्नशिप के दौरान या इंटर्नि ाप कार्यक्रम के पूरा होने पर रोजगार का कोई वादा नहीं है।

घ) नेयुकेसं के साथ जुड़े होने के कारण छात्र मीडिया या किसी अन्य बाहरी स्रोत को कोई जानकारी नहीं देगा जिसे वह नेयुकेसं के साथ जुड़ने के कारण जानता है वह उसे सार्वजनिक नहीं करेगा।

ई) वह ऐसी कोई भी सूचना का नेयुकेसं के लिखित प्राधिकार के बिना इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही कभी उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दायित्वों इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि समाप्त होने के बाद लागू रहेंगे। इसके अलावा छात्रों गोपनीयता बनाए रखना आव यक है।

एफ) प्रत्येक छात्र को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी जैसे इंटरकॉम सुविधा और कंप्यूटर की सुविधा के साथ कार्यालय में स्थान। छात्र को नेयुकेसं मुख्यालय या राज्य कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी एक के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

जी) छात्र को क्षेत्र कार्य के लिए यात्रा करने के लिए कहा जा सकता है। यात्रा की लागत और लॉजिस्टिक रुपये ५,०००/- तक समस्त अवधि के लिए, नेयुकेसं द्वारा प्रदान किया जाएगा, जैसा कि समय समय पर निर्णय लिया जायेगा।

एच) छात्रों को अपने कार्य के अंत में एक संक्षिप्त रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करना होगा जिसमें उन्हें टिप्पणियॉ एवं सुझाव, यदि कोई हो तो, देने होंगे। इसके परिणामस्वरुप नेयुकेसं के नामिक अधिकारी की संतुश्टि के प चात सफलतापूर्वक इंटर्नि ाप कार्यक्रम को पूरा करने के प चात प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं

१० सामाजिक भवन और दिल्ली के कम सेवित शहरी क्षेत्रों झुग्गियों के विकास के लिए युवा भागीदारी को / सुनिश्चित करना

लक्ष्य

स्लम कल्याण गतिविधियों में स्लम के युवाओं को भाग लेने का अवसर प्रदान करना।

उन्हें नेयुके की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना

- बाजार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कराना।

नेयुके दिल्ली के - ०९ नेयुके के जिले

अवधि: एक वर्ष

समन्वय और सहयोगी एजेंसी

जिला प्रशासनए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागए शिक्षा विभाग विभागए समाज कल्याण विभागए युवा वर्गए गैर सरकारी संगठनए युवा समूह और अन्य हितधारक।

लक्षित श्रोतागण -किशोरए युवा और समाज के सभी वर्गों से सामान्य लोग

बजट: एक करोड़ रुपये

सुझाए गए घटक

दिल्ली राज्य के नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक स्टेकहोल्डर के परामर्श से एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और कार्यान्वयन रणनीति तैयार करेंगे। वह बजट की आवश्यकता के साथ परियोजना गतिविधियों के कार्यक्रम भी तैयार करेंगे।

जिला नेयुके एनवाईसी स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी के साथए नेयुके केयुवा मण्डल के सदस्योंए युवा समूह और समुदायों के सदस्यों के साथ निम्न के लिए उनके ठोस प्रयास करेंगे :

१० जे जे क्लस्टर में युवा मंडलों का गठन

२० कंप्यूटर साक्षरता सहित कौशल विकास

३० स्वछता गतिविधियां

४० चित्र कला और सामान्य ज्ञान पर बड़ी प्रतियोगिताओं

५० खेल प्रतियोगिताएं

६० पड़ोस युवा संसद और विकास के लिए युवा

७० युवा सोच कार्यक्रम

८० जन जागरण के लिए आवश्यकता पर आधारित त्वरित कार्यक्रम

९० मीडिया प्रोजेक्शन गतिविधियां

१०० योग युवाओं के -आत्म विकासए सद्भाव और शांति के लिए सकारात्मक सोच लिए

११० स्वास्थ्य शिक्षाए स्वास्थ्य शिक्षाए पोषण और जनसंख्या शिक्षा सहित स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता

निवारक स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता

टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम

ड्रग एंड अल्कोहल से बचाव

१२० युवा सुविधा केंद्र

१३० एक्सपोजर विज़िट

१६ से ३१ अगस्तए २०१७ तक स्वछता पखवाड़े का आयोजन

स्वच्छ कार्य योजना - (एसएपी)२०१७.१८

क्रम संख्या	कार्यक्रमग/योजनाए/तिविधियां
जिला एनवाईके द्वारा पूरे वर्ष युवा वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता गतिविधियां	
१०	स्वच्छता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जागरूकता और स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वच्छता

क्रम संख्या	कार्यक्रमग/योजनाए/तिविधियां
	का राजदूत बनाना
२ए	भारत को साफ करने के लिए योगदान करने के लिए लोगों को अपने समय में से १०० घंटे श्रमदान के लिए समर्पित करने हेतु प्रेरित करना
३ए	लोगो और भारतीय माननीय प्रधान मंत्री की अपील सहित मिशन पर आईईसी सामग्री का वितरण
४ए	सार्वजनिक मूर्ति सफाई
५ए	स्कूलों कॉलेजों क /ी सफाई
६ए	पीएचसी/ अस्पतालों की सफाई
७ए	जिला एवं मंडल कार्यालय के परिसर/ ौचालय एवं कूडेदानों की सफाई
८ए	गलियों एवं सामान्य स्थानों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान
९ए	पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता और सुसाध्य उत्पन्न करने के लिए पॉलिथीन बैग का संग्रहण
१०ए	जंगली घास का उन्मूलन (जैसे गाजर घास, लान्टाना, जल कुंभी आदि)
११ए	स्वच्छता पर आईईसी सामग्री का
१२ए	गांवों को शौच मुक्त लोगों को शौचालयों का निर्माण और वास्तविक इस्तेमाल :बनाना (ओडीएफ) के लिए प्रेरित
१३ए	भाव दाह मैदानों और खेल के मैदानों का रखरखाव और मरम्मत
जल संरक्षण	
१४ए	मौजूदा जल निकायों के रखरखाव सुधार / मरम्मत /
१५ए	तालाबों की सफाईए खुदाईए रखरखाव-ए गाद निकालना और तालाबों प्राकृतिक पेय जल संसाधनए छोटे सिंचाई चैनलए पानी के टैंक आदि की मरम्मतए।
१६ए	जल संचयन के लिए गतिविधियां
१७ए	पौधों लगाना
१८ए	महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन
ए)	स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ की तीसरी वर्षगांठ (२५ सितंबर)
बी)	वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस (१५ अक्टूबर)
सी)	विश्व शौचालय दिवस (१ ९ नवंबर) द्ध
ए स्वछता पखवाड़ा का आयोजन) १ से १५ अगस्तए २०१७द्ध	
पर्यावरण निर्माण गतिविधियां	
१ए	युवा मण्डल और युवा सदस्यों को प्रेरणा
२ए	स्वच्छ भारत मिशन को अपनाना और लोकप्रिय बनाना
३ए	स्वच्छता के मुख्य मुद्दे को उजागर करने के लिए बैनर प्रदर्शन
४ए	स्वच्छ गतिविधियां प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिष्ठित नागरिकों की बैठकें
५ए	इस अभियान पर सार्वजनिक ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छता की आवश्यकता पर गतिविधियां
स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियां	
६ए	स्वच्छता पर शपथ ग्रहण समारोह) १ अगस्त (
७ए	भारत के माननीय प्रधान मंत्री और माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)ए युवा मामले और खेल मंत्रालयए भारत सरकार का संदेश अपील /पढ़ना)१ अगस्त (
८ए	गोष्ठीए सेमिनार और चर्चा)१ अगस्त (
९ए	अपने गांव की सफाई)२ अगस्त और ३ अगस्त (

क्रम संख्या	कार्यक्रमग/योजनाए/तिविधियां
१०0	स्वछता पर गांव में घर घर जा कर प्रचार अभियान ओ)डीफ़ए सामान्य सफाई और स्वच्छता)४ अगस्त -६ अगस्त (
११0	जिले में संबंधित विभागों से मिले साहित्य का वितरण)४ अगस्त से ६ अगस्त (
१२0	गांव में स्कूलए आंगनवाड़ीए पंचायत भवनए सार्वजनिक मूर्तियां सहित गांव की गहन सफाई)७ अगस्त से ११ अगस्त (
१३0	सार्वजनिक संस्थानों स्वास्थ्य उप केंद्रए पड़ोसी गांव में पीएचसी की सफाई। कुछ युवा क्लब एक साथ आते हैं और संयुक्त रूप से काम करते हैं)१२ अगस्त -१५ अगस्त (
१४0	गांव में रैली)१५ अगस्त (
१५0	स्वच्छता के बारे में व्यवहार में परिवर्तन के लिए जन जागरूकता गतिविधियों का प्रकार
,द्ध	रैलियों साइकिल)ए मोटर साइकिलए आदि (
इद्ध	प्रभात फेरी
बद्ध	स्वच्छता के लिए दौड़
कद्ध	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
मद्ध	चित्रकारीए पोस्टर बनाना
द्धि	निबंध और नारा लेखन
हद्ध	दीवार लेखन
ीद्ध	नुक्कड़ नाटक
पद्ध	स्वच्छता पर प्रख्यात संदर्भ व्यक्तियों के व्याख्यान
रद्ध	सेमिनार और चर्चाएं
्रद्ध	वाद विवाद और भाषाण प्रतियोगिता
सद्ध	स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार अन्य कार्यक्रम

३0 स्वच्छ शहर बनाने के लिए युवा नेतृत्व मास जागरूकता अभियान - नेयुकेस की एक पहल

श्री एम वेंकैया नायडूए माननीय शहरी विकास मंत्रीएभारत सरकार और श्री राव इंद्रजीत सिंहए माननीय राज्य मंत्री शहरी विकास की उपस्थिति में दिनांक ३00८0२०१६को नेयुकेस और शहरी विकास मंत्रालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए ।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के बारे में व्यवहार में बदलाव लाने के लिए नेयुकेस युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अभियानए शारीरिक स्वच्छता गतिविधियोंए सोशल मीडिया अभियान और अन्य सफाई गतिविधियों को शुरू करने के लिए युवाओं को एकत्रित करेगा ।

परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ९ पायलट शहरी स्थानीय निकायों में होगीए जिसमें ४0७० करोड़ बजट का बजट होगा।

४0 **पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन**

नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत के राज्यए जिलाए ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन उचित तरीके से करेंगे। आयुष मंत्रालय और अन्य संगठनों द्वारा चिन्हित गए एनजीओ और उनके विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तिका (हिंदी और अंग्रेजी दोनों) और डीवीडीए सभी नेयुके और युवा मंडलों में परिचालित हो जाएंगी और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए नेयुकेस की वेबसाइट:ूण्दलोण्वतह पर उपलब्ध कराई जाएगी। एनएसएसए एनसीसीए भारत स्काउट्स और गाइड्सए हिंदुस्तान स्काउट्स और मार्गदर्शिकाएं और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ बुनियादी सुविधाओं के जुटाने के लिए समन्वय स्थापित किया जाएगा।

विभिन्न स्तरों पर आयोजित गतिविधियों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया जाएगा। एक्शन फोटो नेयुकेस कि फेस बुक और आयुष मंत्रालय के यूआरएल पर लगाए जाएंगे।

क) राज्य स्तर के कार्य

नेहरू युवा केंद्र संगठनए पूरे राज्य में जिलाए ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बड़े कार्यों को व्यवस्थित करने के अलावाए १० राज्य की राजधानियों में २१ जून २०१७ को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के योग पर १० राज्य स्तर की घटनाओं का आयोजन करेगा। मेगा कार्यक्रमों मेंए योग को सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग का प्रदर्शन करने के लिए युवाओं प्रशिक्षित किया जाएगा।

राज्य की राजधानियों में कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात योग गुरु को सम्मानित किया जाएगा। माननीय गवर्नर्सए केन्द्रीय मंत्रियोंए माननीय सांसदोंए विधायकोंए महापौरों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ख) जिला स्तर के कार्य और प्रदर्शनियां

सामूहिक योग अभ्यास के सफल प्रदर्शन के लिए जिन २७८ जिला नेयुके में जिला युवा समन्वयक में तैनात वहाँ सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामान्य योग प्रोटोकॉल और प्रारंभिक गतिविधियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिला नेयुके सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन करेगा। इसके अलावाए युवा सम्मेलन ए योग के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे जिसमें युवा मण्डल के सदस्य भाग लेंगे।

जिला युवा सम्मेलनों के दौरानए विषयों के विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देंगे जैसे : नई सरकार के क्या योजनाएं और कार्यक्रम युवाओं तक पहुंचे और वे किस प्रकार से उनके लिए उपयोगी / लाभकारी होंए युवाओं के व्यक्तिगत शारीरिक और खेल विकासए योग-भारतीय संस्कृति और विरासत (योग न केवल एक व्यक्ति के शरीर को विकसित करता है बल्कि दिमाग के साथ भी समन्वय स्थापित करता है और योग बीमारियों के उपचार में भी उपयोगी है) और युवाओं के संबन्धित हैं।

माननीय केन्द्रीय और राज्य सरकार मंत्रियोंए सांसदोंए विधायकोंए लोक प्रतिनिधियोंए डीएम / डीसी और अन्य लोगों को गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

सी) ग्राम स्तर कार्य

नेयुके के युवा मण्डल योग प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे और योग विशेषज्ञों का सम्मानित करेंगेए योगों के विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेगेए और स्थानीयसंसाधनो को को जुटाकर गतिविधियां आयोजित करेंगे। योग दिवस समारोह के दौरानए ग्राम पंचायत प्रतिष्ठानए विकास विभाग के अधिकारीए गैर-सरकारी संगठनोंए सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों को गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

घ) ब्लॉक पड़ोस युवा संसद

नेयुके के युवा मंडलों को प्रेरित करने के लिएए जिला नेहरू युवा केंद्रों ब्लॉक स्तर पर पड़ोस युवा संसद का आयोजन कए जिसके लिए / रु। १२ए००० ६ . प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रमों में युवा वर्ग के सदस्य भाग लेंगे। एक घंटे का सत्र योग और प्रशिक्षण पर समर्पित होगा। इन कार्यक्रमों के दौरानए योग के लाभों पर व्याख्याताओंए सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार योग प्रथाओं का प्रदर्शनए योग पर दस्तावेजी (डीडीडी) शोए चर्चा के बाद आयोजित किया जाएगा।

संसद में भाग लेने वाले युवा मण्डल के प्रशिक्षित सदस्यों को स्थानीय संसाधनों को जुटाकर और योग विशेषज्ञों की सहायता से अपने गांवों में योग शिविरों प्रदर्शनों को /आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
पड़ोस युवा संसद के आयोजन का उद्देश्य सामान्य रूप से स्थानीय समुदायों और विशेष रूप से युवा समुदायों के सदस्यों के सामने आने वाली समकालीन सामाजिक आर्थिक विकास मुद्दों के बारे में-शिक्षित करना और ऐसे मुद्दों पर बहस चर्चा में उन्हें शामिल करना होगा। /
इन कार्यक्रमों के दौरान प्रख्यात वक्ता समकालीन मुद्दोंपर वक्तव्य देंगे जैसे किसुशासन :ए सरकारी योजनाओं में युवा भागीदारी इसमें प्रधान मंत्री जन धन योजनाए स्वच्छ भारत मिशनए शौचालयों का निर्माणए आदि शामिल है।
विभिन्न क्लबों के युवा नेता प्रेरित हो कर अपने संबंधित क्षेत्रों में लौटने के बादए वे अपने क्लब सदस्यों को शामिल कर इसी प्रकार की चर्चा /वाद विवाद का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों को व्यापक रूप से ९ब्लॉक युवा संसद९के स्वरूप में संरचित किया गया था। प्रत्येक कार्यक्रम के बादए सिफारिशें तैयार कर और उन्हें संबंधित सरकार के अधिकारियों और ग्राम पंचायत को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

५ण आदिवासी युवा कार्यक्रम

नेहरू युवा केंद्र संगठनए गृह मंत्रालयए भारत सरकार के सहयोग वर्ष २००५.२००६ से (योजना के तहत) आदिवासी युवाओं के विकास के लिए आदिवासी युवा कार्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

कार्यक्रमों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)अर्थात सीआरपीएफए बीएसएफए एसएसबी और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

इस कार्यक्रम मेंए छत्तीसगढ़ए झारखंडए ओडिशाए आंध्र प्रदेशए तेलंगानाए महाराष्ट्रए बिहारए उत्तर प्रदेशए मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में वामपंथी चरमपंथियों से प्रभावित जिलों से चयनित आदिवासी युवाओं को देश के अन्य भागों में ले जाया जाता है। ।

कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना है और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा के प्रति प्रोत्साहित करना हैए जिससे की उन्हें देश के अन्य भागों में विकास गतिविधियों और तकनीकी औद्योगिक उन्नति के /बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें भावनात्मक रूप से देश के दूसरे हिस्सों के लोगों के साथजोड़ा जा सके और मुख्य जीवन कौशल की उनकी समझ को बढ़ाने के द्वारा उनके व्यक्तित्व का

विकास करनाए उनके कौशल विकास की जरूरतों की पहचान करना और उन्हें आवश्यक कैरियर परामर्श प्रदान करना है।